अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश

वार्षिक प्रतिवेदन

2017-18

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http;//updes.up.nic.in

नीना शर्मा

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
उत्तर प्रदेश।

प्राक्कथन

संतुलित विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं का नियोजित अनुप्रयोग आवश्यक व अपरिहार्य है और इस प्रक्रिया में सम्बन्धित सांख्यिकीय आँकड़ों की उपादेयता निर्विवादित है। इस क्रम में प्रदेश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग सतत् प्रयत्नशील है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI), भारत सरकार के दिशा–निर्देश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी कार्य, सर्वेक्षण व अनुमान इत्यादि तैयार किये जाते हैं। प्रभाग स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों की स्थिति व उद्देश्य के सन्दर्भ में वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास वर्ष 2011 में किया गया था। इसी श्रृंखला में वार्षिक प्रतिवेदन के चतुर्थ अंक वर्ष 2017–18 का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रस्तुत अंक में कुल 14 अध्याय हैं, जिसमें प्रभाग का परिचय, प्रभाग पर अनुभागवार सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण एवं क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकाशन को अल्प अवधि में तैयार किये जाने हेतु सम्पादक मण्डल के साथ प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का योगदान प्रशंसनीय है।

दिनांकः 30.11.2018

(नीना शर्मा)
निदेशक, अर्थ एवं संख्या।

सम्पादक मण्डल

अध्यक्ष

श्री ए0के0 पाण्डेय, अपर निदेशक, प्रभाग मुख्यालय

सदस्य

1. डा. श्रीमती दिव्या सरीन मेहरोत्रा, संयुक्त निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
2. श्रीमती रश्मि, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
3. श्रीमती शालू गोयल, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

सदस्य सचिव

श्री विनोद कुमार, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

विषय–वस्तु

अध्याय		पृष्ठ–संख्या
1.	अर्थ एवं संख्या प्रभाग–एक परिचय	1– 10
2.	राज्य आय अनुभाग	11–23
3.	क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग	24–30
4.	डेटा बैंक अनुभाग	31–41
5.	भाव अनुभाग	42–50
6.	औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग	51–60
7.	आवास सांख्यिकी अनुभाग	61–64
8.	संगणक अनुभाग	65–67
9.	ग्राफ अनुभाग	68–69
10.	प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग	70–71
11.	समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग	72–73
12.	स्थापना अनुभाग	74–75
13.	लेखा अनुभाग	76–77
14.	क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य	78–85
15.	फोटो सेक्शन	86–87

अध्याय–1
अर्थ एवं संख्या प्रभाग – एक परिचय

उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गठित राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत 09 प्रभाग कार्यरत हैं, जिनमें से एक अर्थ एवं संख्या प्रभाग है। संस्थान का अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही एक मात्र ऐसा प्रभाग है जिसके कार्यालय राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त सभी मण्डलों एवं जनपदों में भी स्थित हैं। मण्डल स्तर पर श्रेणी–1 के उप निदेशक तथा सभी जनपदों में श्रेणी–2 के अर्थ एवं संख्याधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इस प्रभाग का एक कार्मिक–सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) तैनात रहता है, जो खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पद–स्थित होता है।

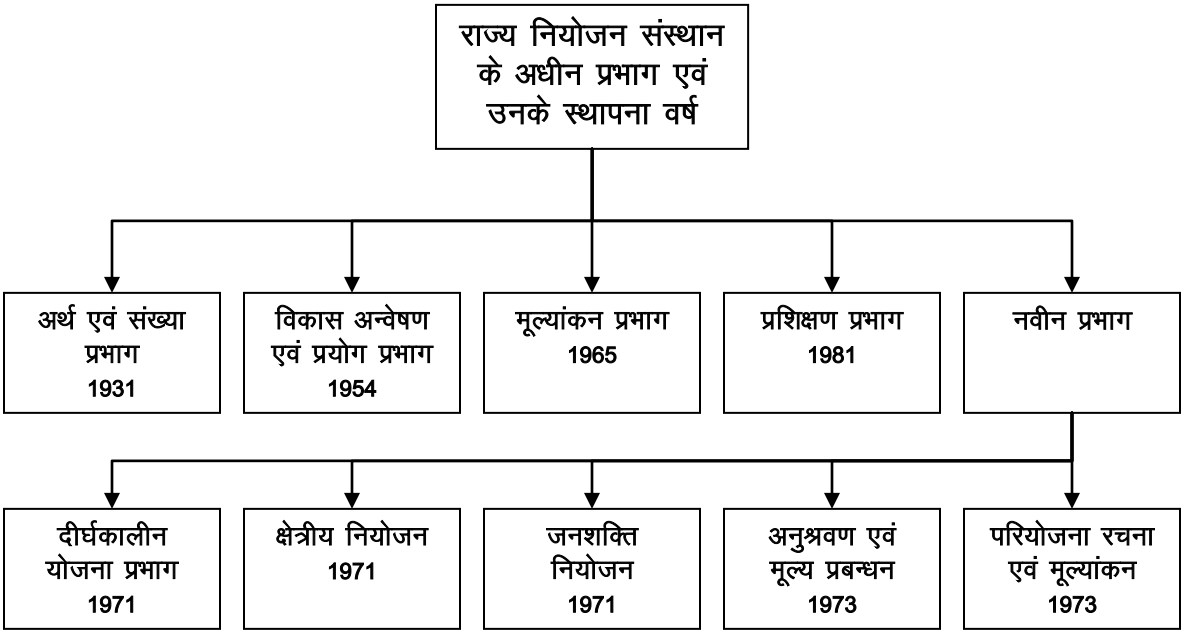

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित व संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने के दायित्व की पूर्ति हेतु इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में Bureau of Statistics and Economic Research नाम से की गई थी। वर्ष 1938 में इस Bureau को पुनर्गठित कर पहले उद्योग निदेशालय, तत्पश्चात् मूल्य नियंत्रण विभाग में संविलीन किया गया। वर्ष 1942 मे मूल्य नियंत्रण विभाग को समाप्त कर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा अर्थ एवं संख्या विभाग बनाए गए। अर्थ एवं संख्या विभाग को आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 1947 में राज्य सचिवालय के अन्तर्गत आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित करके उसके अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो0 एस0के0 रूद्रा (1942–1947) को इसका प्रथम आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक बनाया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1971 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रूप में जाना जाने लगा।

वर्ष 1951 तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय का दायित्व राज्य मुख्यालय तक ही सीमित रहा। वर्ष 1952 में प्रत्येक जनपद में Economic Intelligence Inspector के पद का सृजन किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्य सम्पादन एवं विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं की प्रगति के विवरण के संकलन, भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1958 में प्रत्येक जनपद में जिला सांख्यिकीय अधिकारी के पद सृजित करते हुए उनके कार्यालयों की स्थापना की गई। विकास कार्यों से सम्बन्धित आँकड़ों के रखरखाव तथा प्रगति के अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक–एक प्रगति सहायक (वर्तमान पदनाम सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय)) के पद का सृजन वर्ष 1959 में किया गया। विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने हेतु वर्ष 1973 में प्रत्येक जिला सांख्यिकीय कार्यालय में अर्थ अधिकारी के पद एवं अन्य अधीनस्थ पद सृजित किए गए। वर्ष 1988 में जनपद स्तरीय कार्यालय में पदस्थित श्रेणी–2 के पदों को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पुनः पदाभिहीत संवर्ग में सम्मिलित और संविलीन किया गया।

मण्डल स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों के सम्पादन, विकास कार्यों के नियोजन एवं अनुश्रवण में मण्डलायुक्त के सहायतार्थ तथा प्रभागीय जनपद कार्यालय के पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 1979 में उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की गयी।

प्रभाग का संगठनात्मक ढांचा

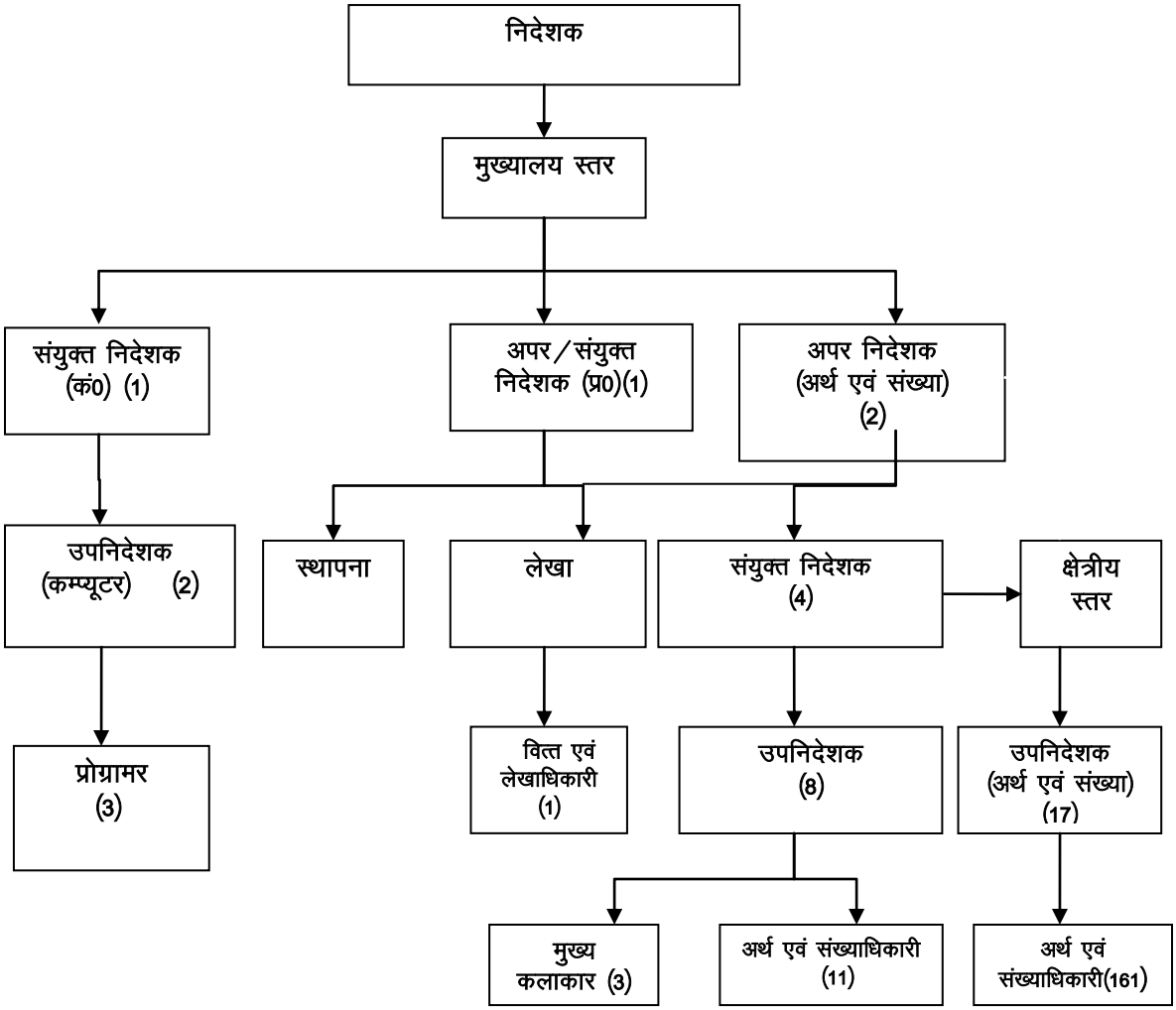

'उपनिदेशक के 03 अतिरिक्त पद वाह्य विभागों यथा–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 में हैं।
अर्थ एवं संख्या प्रभाग में दिनांक 31–03–2018 को स्वीकृत एवं भरे पदों की संकलित स्थिति निम्नवत् रही–

राजपत्रित			अराजपत्रित			योग		
कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	
	कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति / जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
928	797	183 / 9	1916	792	184 / 20	2844	**1589**	**367** / 29

1.2 प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

I. प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की नियमित समीक्षा करना।

II. प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार करना।

III. राज्य में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग प्रदान करना।

IV. जिला योजना को तैयार करना तथा उसका अनुश्रवण करना।

1.2.1 गतिविधि–I के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम, त्वरित, संशोधित और तिमाही अनुमान तैयार करना।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमानों को तैयार करना।
- जनपदीय घरेलू उत्पाद के अनुमान को तैयार करना।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करना।
- थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा ग्रामीण और नगरीय मजदूरी सूचकांक तैयार करना।

1.2.2 गतिविधि–II के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श का सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रकाशन करना।
- 47 आवश्यक वस्तुओं का भाव संग्रह एवं संकलन करना।
- सांख्यिकीय डायरी, जिला और मण्डलीय सांख्यिकीय पत्रिका, जिलेवार विकास संकेतांकों, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक सांख्यिकी आदि का प्रकाशन करना।
- ग्राम वार आधारभूत आँकड़ों का संग्रह करना।
- आवास साँख्यिकी के आँकड़ों का संग्रह करना।
- भवन निर्माण लागत का निर्माण सूचकांक तैयार करना।

उक्त से सम्बन्धित प्राथमिक आँकड़ों का एकत्रण जनपदीय कार्यालय के माध्यम से कराया जाता है।

1.2.3 गतिविधि–III एवं IV के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य–

- नियमित रूप से प्रभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का संकलन तथा जिला एवं मण्डलीय प्रशासन को योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद/मण्डल में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन करना।
- उ०प्र०सरकार के नियोजन विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं यथा–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यूनिक आइडेन्टिफिकेशन, त्वरित आर्थिक विकास योजना, नवाचार निधि इत्यादि के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- जिला योजना को तैयार करना और उसकी जिला योजना समिति से मंजूरी प्राप्त करना।

1.3 प्रभाग मुख्यालय पर अनुभागीय संरचना

प्रभाग मुख्यालय पर प्रशासनिक प्रबन्धन एवं कार्य सम्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं :–

1. राज्य आय अनुभाग
2. क्षेत्राधीक्षण अनुभाग
3. विश्लेषण अनुभाग
4. डेटा बैंक अनुभाग
5. भाव अनुभाग
6. औद्योगिक सांख्यिकी, अनुभाग
7. आवास सांख्यिकी, अनुभाग
8. संगणक, अनुभाग
9. ग्राफ एवं पुस्तकालय, अनुभाग
10. बाहय सहायतीत कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण, अनुभाग
11. समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग
12. स्थापना अनुभाग
13. लेखा अनुभाग–1
14. लेखा अनुभाग–2

1.4 प्रभाग में स्वीकृत पद

1.4.1 प्रभाग मुख्यालय पर स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2018)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
समूह 'क'			
1	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक	37400–67000, 8900 लेवल 13क – 131100	1

2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400-67000, 8700 लेवल 13 - 118500	1
3	अपर निदेशक	37400-67000, 8700 लेवल 13 - 118500	2
4	संयुक्त निदेशक	15600-39100, 7600 लेवल 12 - 78800	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100, 7600 लेवल 12 - 78800	1
6	उप निदेशक	15600-39100, 6600 लेवल 11- 67700	8
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100, 6600 लेवल 11- 67700	2
योग			19
समूह 'ख'			
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600-39100, 5400 लेवल 10- 56100	11
9	प्रोग्रामर	15600-39100, 5400 लेवल 10- 56100	3
10	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300-34800,4600 लेवल 7- 44900	88
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800,4600 लेवल 7- 44900	4
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600-39100, 5400 लेवल 10- 56100	1
13	सहायक लेखाअधिकारी	9300-34800,4800 लेवल 8- 47600	1
14	मुख्य कलाकार	9300-34800,4600 लेवल 7- 44900	1
योग			109
	योग राजपत्रित क+ख		128
समूह 'ग'			
15	मुख्य कलाकार	9300-34800,4600 लेवल 7- 44900	2
16	वरिष्ठ कलाकार	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	3
17	कलाकार	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
18	लेखाकार		1

19	सहायक लेखाकार		1
20	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	50
21	प्रधान सहायक	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	10
22	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–1	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	5
23	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	12
24	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
25	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	13
26	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	28
27	पंच सुपरवाइजर	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
28	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–1	5200–20200,2400 लेवल 4– 25500	9
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड–2	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1
30	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	3
योग			**141**
समूह 'घ'			
30	मशीन आपरेटर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1
31	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	3
32	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	33
	योग		**37**
	महायोग		**306**

1.4.2 प्रभाग के मण्डलीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2018)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप निदेशक	15600-39100, 6600 लेवल 11- 67700	1
2	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	1
3	मुख्य कलाकार/वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1

5	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	3
6	आशुलिपिक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
7	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
8	कनिष्ठ सहायक	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	1–2*
9	उर्दू अनुवादक/सह वरि0 सहायक	5200–20200,2400 लेवल 4– 25500	1*
10	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1**
11	चपरासी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1–3

* मात्र 7 मण्डलीय कार्यालयों यथा बरेली, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ तथा फैजाबाद में ही उर्दू अनुवादक के पद सृजित है। इन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक का एक ही पद स्वीकृत है।

** देवीपाटन, बस्ती तथा चित्रकूटधाम मण्डल कार्यालय में पद सृजित नहीं है ।

1.4.3 प्रभाग के जनपद स्तरीय कार्यालय में स्वीकृत पदों की स्थिति (31–03–2018)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	2*
2	वरिष्ठ कलाकार/कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400 / 5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1
3	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4–9**
4	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	1–7**
5	वरिष्ठ सहायक	5200–20200,2800 लेवल 5– 29200	1–2**
6	कनिष्ठ सहायक	5200–20200,2000 लेवल 3– 21700	2#
7	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	–	1##
8	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	1
9	चपरासी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1–3**

* 5 जनपदों – कन्नौज, बागपत, औरैय्या, कानपुर नगर व संत कबीर नगर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के 1–1 पद सृजित हैं।

** जनपद में कार्य की आवश्यकतानुसार पद सृजित हैं।

जनपद कानपुर नगर में एक ही पद सृजित है।

4 जनपदों –कन्नौज, बागपत, औरैय्या व संतकबीर नगर में ही पद सृजित।

1.4.4 दिनांक 31–03–2018 को प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद (संख्या)			
				सामान्य	अनु0जाति	अनु0जनजाति	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
समूह 'क'							
1	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक	37400–67000, 8900 लेवल 13क– 131100	1	1	–	–	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400-67000, 8700 लेवल 13- 118500	1	1	–	–	1
3	अपर निदेशक	37400-67000, 8700 लेवल 13- 118500	2	1	–	–	1
4	संयुक्त निदेशक	15600-39100, 7600 लेवल 12 - 78800	4	4	–	–	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100, 7600 लेवल 12 - 78800	1	–	1	–	1
6	उप निदेशक	15600-39100, 6600 लेवल 11- 67700	28	24	4	–	28
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600-39100, 6600 लेवल 11- 67700	2	–	1	–	1
योग			**39**	**31**	**6**	**–**	**37**
समूह 'ख'							
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	172	73	28	–	101
9	प्रोग्रामर	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	3	–	–	–	–
10	अपर सॉख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	692	495	148	9	652
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4	2	1	–	3

12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600-39100, 5400 लेवल 10- 56100	1	1	—	—	1
13	सहायक लेखाधिकारी		1	—	—	—	—
14	मुख्य कलाकार	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	1	1	—	—	1
योग			**874**	**572**	**177**	**9**	**758**
	योग राजपत्रित क+ख		**913**	**603**	**183**	**9**	**795**
समूह 'ग'							
15	मुख्य कलाकार	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	13	2	—	—	2
16	वरिष्ठ कलाकार	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	33	22	8	1	31
17	कलाकार	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	52	—	1	—	1
18	लेखाकार		1	—	—	—	—
19	सहायक लेखाकार		1	—	—	—	—
20	सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	1035	129	31	9	169
21	प्रधान सहायक	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	10	8	1	—	9
22	वैयक्तिक सहायक ग्रेड—1	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	5	5	—	—	5
23	वैयक्तिक सहायक ग्रेड—2	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	12	9	2	—	11
24	आशुलिपिक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	18	11	6	—	17
25	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	171	133	35	3	171
26	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	202	76	59	3	138
27	उर्दू अनुवादक/ सह वरि0 सहायक	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	7	7	—	—	7
28	पंच सुपरवाइजर	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1	—	—	—	—
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—1	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	9	1	—	—	1
30	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—2	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1	—	—	—	—

31	जीप चालक	5200–20200,1900 लेवल 2– 19900	83	47	12	*1*	60
32	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक		4	–	–	–	–
	योग		**1658**	**450**	**155**	**17**	**622**
		समूह 'घ'					
33	मशीन आपरेटर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	1	–	–	–	–
34	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफतरी	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	3	2	–	–	2
35	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200–20200,1800 लेवल 1– 18000	269	138	29	3	170
योग			**273**	**140**	**29**	**3**	**172**
महायोग			**2844**	**1193**	**367**	**29**	**1589**

प्रभाग मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों की स्थिति

वर्तमान में प्रभाग मुख्यालय का कार्यालय 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन परिसर, लखनऊ स्थित अर्थ एवं संख्या भवन में स्थापित है। मण्डलीय उप निदेशक(अर्थ एवं संख्या) के 7 कार्यालय – आजमगढ़, फैजाबाद, चित्रकूटधाम, अलीगढ़, झॉसी, बस्ती एवं लखनऊ मण्डल शासकीय भवन में स्थित हैं। शेष 11 मण्डल कार्यालय निजी भवन में स्थापित हैं। 68 जनपदो के अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय विकास भवन में स्थित है। शेष **7** जनपदों के कार्यालय निजी भवनों में स्थापित है।

******

अध्याय–2
राज्य आय अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के राज्य आय अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैंः–

1.राज्य आय अनुमान
2.जिला आय अनुमान
3.उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण
4.उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा
5.सकल स्थायी पूँजी निर्माण
6.उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े
7.स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य

2.1. राज्य आय अनुमान (State Income Estimates)

2.1.1 सामान्य परिचय

- राज्य आय अनुमान एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का मापक है।
- राज्य आय अनुमान स्थायी एवं प्रचलित भावों पर तैयार किये जाते हैं। स्थायी भावों पर तैयार अनुमान भाव परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- सकल राज्य आय से स्थायी पूँजी के उपयोग/ह्रास को घटाने पर निवल राज्य अनुमान प्राप्त होते हैं।
- अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्तर के बोध के लिए, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने, समय के साथ अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु इन अनुमानों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.2 राज्य स्तरीय अनुमानों की पृष्ठभूमि व आधार वर्ष

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा राज्य आय के अनुमान वर्ष 1950–51 से निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं।
- सर्वप्रथम आधार वर्ष 1948–49 पर राज्य आय अनुमान तैयार किये गये। तद्पोरान्त आधार वर्ष 1960–61, 1970–71, 1980–81, 1993–94 व 1999–2000 व 2004–05 पर अनुमान तैयार किये गये। वर्ष 2017–18 में आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2017–18(अग्रिम) तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

2.1.3 खण्डीय संरचना व आँकड़ों के स्रोत

- अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों को 13 खण्डों में विभाजित कर खण्डवार आय अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- उक्त क्रिया–कलापों/खण्डों को 3 प्रमुख खण्डों यथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों में वर्गीकृत किया गया है।

- आय अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्यान, राजस्व, पशुपालन, वन, मत्स्य, खनिज, विद्युत, परिवहन, भण्डारण आदि, प्रदेश के स्थानीय निकायों, स्वयत्तशासी संस्थानों, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राज्य सरकार के बजट अभिलेख, जनगणना 2011 तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय अंश के उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अनुमान तैयार करने हेतु नवीनतम् सर्वेक्षणों/अध्ययनों के उपलब्ध परिणामों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.4 रीति विधायन

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधायन एवं दिशा–निर्देशन का अनुसरण करके अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- राज्य आय अनुमान के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों का मापन निहित है। अतः विभिन्न खण्डों के लिये आय मापन हेतु अलग–अलग विधि यथा प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एवं एक्सपेंडिचर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है।
- राज्य आय के वार्षिक अनुमानों को प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की बैठक आयोजित कराकर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त आँकड़ों की पुष्टि कराकर अंतिम रूप दिया जाता है।
- वार्षिक आय अनुमानों को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ प्रत्येक वर्ष तुलनात्मक विचार–विमर्श एवं अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों के क्रम में संशोधित कर परिष्कृत किया जाता है।

2.1.5 वार्षिक कैलेन्डर

वर्षान्तर्गत राज्य आय के त्वरित, अग्रिम व संशोधित अनुमान तथा त्रैमासिक अनुमान निर्गत किये जाते हैं।केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार उक्त तैयार अनुमानों को जारी करने हेतु कैलेन्डर का निर्धारण किया गया जो निम्नवत् हैः–

Calendar For Releasing GSDP Estimates

क्रम0 सं0	आय अनुमान	निर्धारित तिथि
1.	राज्य आय के अग्रिम अनुमान	15 फरवरी
2.	राज्य आय के संशोधित अनुमान	30 जून
3.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q1 (अप्रैल–जून)	30 सितम्बर
4.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q2 (जुलाई–सितम्बर)	15 जनवरी
5.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q3 (अक्टूबर–दिसम्बर)	31 मार्च
6.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q4 (जनवरी–मार्च)	15 जुलाई
7.	राज्य आय के त्वरित अनुमान *	31 दिसम्बर

* राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश (वार्षिक प्रकाशन) जारी किये गये राज्य के त्वरित अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है जो विधान मण्डल में वितरित किया जाता है।

2.1.6 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेशकी सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति ''क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की दिनांक 22 दिसम्बर 2017 को आयोजित बैठक में विभिन्न खण्डों के ऑकड़ों की पुष्टि करायी गयी।
- उक्त अनुमानों से सम्बन्धित विषयवस्तु, विभिन्न परिणामों की तालिकायें/ग्राफ/चार्ट तैयार करके एवं विश्लेषण कर प्रभाग का वार्षिक प्रकाशन ''राज्य आय अनुमान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17'' तैयार कर प्रकाशित कराया गया, जो कि नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है।
- प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 2017–2018 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अग्रिम अनुमान तैयार किये गये।
- वर्षान्तर्गत निम्न 4 त्रैमासों के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान निर्धारित कैलेन्डर के अनुरूप तैयार किये गये–
- माह जनवरी 2017 से मार्च 2017– चतुर्थ त्रैमास (वर्ष 2016–17)
- माह अप्रैल 2017 से जून 2017– प्रथम त्रैमास (वर्ष 2017–18)
- माह जुलाई 2017 से सितम्बर 2017– द्वितीय त्रैमास (वर्ष 2017–18)
- माह अक्टूबर 2017 से दिसम्बर 2017– तृतीय त्रैमास (वर्ष 2017–18)

2.1.7 प्रशिक्षण/सेमिनार/वर्कशाप

आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किए गए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2016–17 तक के प्रदेश के आय अनुमानों पर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 24 से 28 अप्रैल 2017 की अवधि में तुलनात्मक विचार–विमर्श आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश से निदेशक, अर्थ एवं संख्या, संबन्धित कार्य को देख रहे उप निदेशक, अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा पॉच अपर सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 12 से 16 फरवरी, 2018 की अवधि में महाबलीपुरम, तमिलनाडु में किया गया, जिसमें प्रभाग से निदेशक, उप निदेशक व तीन अपर सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

2.1.8 मुख्य परिणाम

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद *

वर्ष	प्रचलित भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय (करोड़ रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011–12	8736329	724050	8.3	8736329	724050	8.3	–	–
2012–13	9944013	822393	8.3	9213017	758205	8.2	5.5	4.7
2013–14	11233522	940356	8.4	9801370	802070	8.2	6.4	5.8
2014–15	12467959	1011790	8.1	10527674	834432	7.9	7.4	4.0

2015–16	13764037	1119862	8.1	11386145	901645	7.9	8.2	8.1
2016–17	15253714	1232566	8.1	12196006	966619	7.9	7.1	7.2
2017–18	16773145	1339452	8.0	13010843	1029095	7.9	6.7	6.5

भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय *

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011–12	63462	32002	50.4	63462	32002	50.4	–	–
2012–13	70983	35812	50.5	65538	32908	50.2	3.3	2.8
2013–14	79118	40124	50.7	68572	34044	49.6	4.6	3.5
2014–15	86647	42267	48.8	72805	34583	47.5	6.2	1.6
2015–16	94731	46253	48.8	77826	36850	47.3	6.9	6.6
2016–17	103870	50203	48.3	82229	38884	47.3	5.7	5.5
2017–18	112835	53700	47.6	86668	40806	47.1	5.4	4.9

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर) *

खण्ड	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	18.5	26.9	18.2	27.4	18.6	26.9	18.2	25.8	17.7	26.1	17.9	26.5	17.1	25.5
प्राथमिक	21.7	27.8	21.3	28.3	21.4	27.9	20.9	26.9	20.1	27.2	20.4	27.9	19.6	26.7
विनिर्माण	17.4	12.9	17.1	12.3	16.5	12.8	16.3	11.1	16.8	11.1	16.8	10.4	16.7	10.3
माध्यमिक	29.3	26.7	28.7	25.8	27.9	26.1	27.3	25.1	27.4	24.5	26.9	23.2	26.6	22.8
तृतीयक	49.0	45.5	50.0	45.9	50.6	46.0	51.8	48.1	52.5	48.3	52.7	49.0	53.9	50.5
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि (2011–12 भावों पर)

खण्ड	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	1.5	4.6	5.6	–0.5	–0.2	–2.0	0.6	4.2	6.3	8.9	3.4	2.4
प्राथमिक	1.4	4.4	4.8	–0.1	1.2	–0.9	2.6	5.5	7.4	10.4	3.3	2.4
विनिर्माण	5.5	4.1	5.0	13.7	7.9	–10.0	12.8	11.1	7.9	1.3	5.7	3.1
माध्यमिक	3.6	2.8	4.2	7.9	6.7	–2.0	9.4	7.1	6.1	4.0	5.8	3.5
तृतीयक	8.3	6.8	7.7	7.1	9.8	9.2	9.6	8.1	7.5	7.5	7.9	8.7
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	5.4	5.1	6.1	5.3	7.2	3.5	8.1	7.2	7.1	7.4	6.5	5.9
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)	5.5	4.7	6.4	5.8	7.4	4.0	8.2	8.1	7.1	7.2	6.7	6.5

नोट *****: 1. उ0प्र0 के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2015–16 के अनन्तिम, 2016–17 के त्वरित अनुमान व 2017–18 के अग्रिम अनुमान।

2. भारत के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2014–15 के तृतीय संशोधित अनुमान, वर्ष 2015–16 के द्वितीय संशोधित अनुमान व वर्ष 2016–17 के प्रथम संशोधित अनुमान व वर्ष 2017–18 के अनन्तिम अनुमान

2.2 जिला आय अनुमान (District Income Estimates)

2.2.1 सामान्य परिचय

राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय आय वैभिन्नताओं (disparities) को कम किया जाये। अतः सुनियोजित विकास हेतु जनपद स्तरीय आर्थिक संकेतक अति आवश्यक हैं। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतकों का महत्व एवं आवश्यकता और अधिक हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जिला आय अनुमान तैयार किये जाते है। मानव विकास सूचकांक/प्रतिवेदन तैयार करने में इन अनुमानों का विशेष महत्व है।

2.2.2 पृष्ठभूमि व रीति विधायन

सर्व प्रथम नेशलन काउंसिल ऑफ अपलाईड इकनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1963 में वर्ष 1955–56 के प्रचलित भावों पर जिला आय अनुमान अपने प्रकाशन ''इंटर डिस्ट्रिक्ट एण्ड इंटर स्टेट डिफरेन्सियल्स 1955–56'' में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय के स्व. प्रोफेसर बलजीत सिंह द्वारा मोनोग्राम ''इंटर डिस्ट्रिक्ट इन्कम एण्ड इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश'' प्रस्तुत किया गया।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सर्वप्रथम प्रचलित भावों पर वर्ष 1968–69 में जनपदवार 5 वस्तु उत्पादन खण्डों यथा–कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन् तथा पत्थर निकालना एवं विनिर्माण के अनुमान तैयार किये गये। इन अनुमानों में अपनायी गयी पद्धति पर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से विचार–विमर्श किया गया। वर्ष 1978 में उक्त 5 वस्तु उत्पादन खण्डों के अनुमान प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 1960–61, 1968–69 और 1970–71 से 1973–74 तक के लिए तैयार किये गये जो वर्ष 1996–97 तक बनाये गये। अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के अर्थ एवं संख्या विभाग ने संयुक्त रूप से अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के जिला आय अनुमान तैयार करने के लिए मेथोडोलॉजी निर्धारित की जो कि केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त समस्त राज्यों में लागू की गयी। इस रीति विधायन का अनुसरण करके राज्य आय की ही भांति जिला आय अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के लिए वर्ष 1993–94 तथा 1997–98 के लिए तैयार किये गये। तत्पश्चात् आगामी वर्षों में इसी प्रकार समस्त 13 खण्डों के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

2.2.3 आधार वर्ष

जिला आय अनुमान तैयार करने हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान के आधार वर्ष के अनुसार ही रखा जाता है। जिला आय अनुमान हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान की ही भांति वर्ष 2011–12 पर परिवर्तित कर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

2.2.4 कैलेन्डर

जिला आय अनुमान दो वर्ष के टाइम लैग से माह फरवरी के अन्त तक जारी किये जाते हैं।

उदाहरणतः वर्ष 2015–16 के जिला आय अनुमान फरवरी 2018 के अन्त में निर्गत किये गये।

2.2.5 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- विभिन्न विभागों से आँकड़ें एकत्र कर उनका संकलन एंव संगणन करके खण्डवार संकलित करके आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2015–16 के जिला आय अनुमान तैयार किये गये।
- जिला आय अनुमान अर्थ एवं संख्या प्रभाग की वेबसाइट http://updes.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

2.2.6 मुख्य परिणामः

आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2015–16 तक जिला आय अुनमान के मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं। उच्चतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले प्रथम 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–

(रू. में)

क्र.सं.	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16	
1.	गौतमबुद्ध नगर	248919	गौतमबुद्ध नगर	275563	गौतमबुद्ध नगर	342473	गौतमबुद्ध नगर	376782	गौतमबुद्ध नगर	368081
2.	मेरठ	59300	मेरठ	67507	मेरठ	75276	आगरा	85496	मेरठ	88273
3.	लखनऊ	54682	लखनऊ	61295	आगरा	73557	मेरठ	85421	लखनऊ	71846
4.	आगरा	47559	हापुड़	54314	लखनऊ	64395	हापुड़	73523	कासगंज	71294
5.	अमरोहा	46716	आगरा	53569	बरेली	62808	लखनऊ	65450	आगरा	68795

न्यूनतम् प्रति व्यक्ति निवल उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–

(रू. में)

क्र.सं.	वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16	
1.	प्रतापगढ़	15524	बहराइच	17580	बहराइच	19800	संत कबीर नगर	21269	बहराइच	21914
2.	बहराइच	16993	प्रतापगढ़	17787	प्रतापगढ़	20402	बलरामपुर	21415	संत कबीर नगर	23216
3.	संत कबीर नगर	17159	संत कबीर नगर	19001	संत कबीर नगर	20850	बहराइच	21825	सिद्धार्थ नगर	23377
4.	सिद्धार्थ नगर	17578	सिद्धार्थ नगर	19879	बलरामपुर	21206	प्रतापगढ़	22124	प्रतापगढ़	24429
5.	श्रावस्ती	18143	देवरिया	20003	आजमगढ़	22279	सिद्धार्थ नगर	23375	बलरामपुर	24687

2.3 उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

2.3.1 सामान्य परिचय

आय–व्ययक (बजट) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन देनों के लेखा संपरीक्षा संबंधी उद्देश्यों के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रहता है।

- आय–व्ययक संबंधी लेन देनों के आर्थिक एवं प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक (बजट) अनुमानों के विभिन्न मदों को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधान के अनुसार पुनः वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन नियोजन

- विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया जाता है।
- आर्थिक वर्गीकरण में सरकारी ब्यौरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूँजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य संबंधी वर्गीकरण में व्ययों को सम्बन्धित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सेवाओं में बांटकर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के उक्तानुसार समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक प्रशासन का विभिन्न सेक्टरों यथा राज्य आय, पूंजी निर्माण आदि में अंश का आंकलन किया जाता है।

2.3.2 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1965–66 से आर्थिक वर्गीकरण तथा वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ–साथ कार्यात्मक वर्गीकरण किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग केन्द्रीय सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

2.3.3 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2017–18 से प्राप्तियों तथा व्यय की 11 पुस्तिकाओं के कोडिंग का कार्य कराने के उपरान्त वर्ष 2015–16 (वास्तविक), वर्ष 2016–17 (पुनरीक्षित अनुमान) तथा वर्ष 2017–18 (आय–व्ययक) के संकलन का कार्य पूर्ण कराया गया।
- वर्ष 2015–16 (वास्तविक) एवं वर्ष 2016–17 (पुनरीक्षित) एवं 2017–18 (आय–व्ययक) की लेखा तालिकायें तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध करायी गयी।
- वार्षिक प्रतिवेदन ''उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण वर्ष 2017–18'' तैयार करने के उपरान्त प्रकाशित कराकर नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया गया।

2.3.4 मुख्य परिणाम

आय–व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2015–16	पुनरीक्षित अनुमान 2016–17	आय–व्ययक अनुमान 2017–18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**चालू व्यय**	18439307	20704078	27785954
1.1	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	6147264	7313533	10201002
1.2	साधारण ऋण पर ब्याज	2095504	2671999	3255304
1.3	राज सहायतायें	1354696	1712543	1762290
1.4	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	7762177	7807950	11218661
1.5	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	1079666	1198053	1348697
2	**पूँजीगत व्यय**	9191082	9730294	8655301
2.1	कुल स्थिर पूँजी निर्माण	4114983	5682679	4591792

2.2	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	50044	683	10
2.3	पूँजीगत अन्तरण	300429	439341	874690
2.4	पूँजी शेयरों में निवेश	2046559	1291873	760461
2.5	ऋण एवं अग्रिम	911791	764469	227326
2.6	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	1767276	1551249	2201022
योग		**27630389**	**30434372**	**36441255**

आय–व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण

(लाख रु० में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2015–16	पुनरीक्षित अनुमान 2016–17	आय–व्ययक अनुमान 2017–18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामान्य सेवायें	4861403	5844962	7061724
2.	सुरक्षा	6894	8708	11626
3.	शिक्षा	4160525	4565569	5970104
4.	स्वास्थ्य	1447819	1761752	2059030
5.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	1833816	2336484	2283572
6.	आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1688535	2175288	2663727
7.	सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	90308	235335	356936
8.	आर्थिक सेवायें	9553706	9112705	10569430
9.	अन्य सेवायें	3987383	4393569	5465106
योग		**27630389**	**30434372**	**36441255**

2.4 उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है जो कि बजट सत्र के अन्तर्गत नियोजन विभाग के बजट साहित्य के रूप में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है। उक्त प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य–कलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2016–17'' को नये कलेवर में तैयार किया गया है। इस अंक में विशेष रूप से राज्य की अर्थ व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि एवं सम्वर्गीय व्यवसाय, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक प्रगति, सेवाक्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रमशक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम, खनिज एवं विद्युत तथा सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) आदि से सम्बन्धित विश्लेषण किया गया। साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की गयी है। उक्त प्रकाशन में कुल 15 अध्यायों के अन्तर्गत विभिन्न विभागों एवं प्रकाशनों से प्राप्त अद्यतन आँकड़ों को विश्लेषणात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2017–18 को तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। पत्रिका को www.updes.up.nic.in पर अवलोकित किया जा सकता है। उक्त पत्रिका में निम्नलिखित 15 अध्यायों में आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है।

- ●राज्य की अर्थ व्यवस्था
- ●प्रदेश के विकास की चुनौतियां तथा रणनीति
- ●वित्त एवं बैंकिग सेवाएं
- ●कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा
- ●पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास
- ●उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
- ●ग्राम्य विकास के कार्यक्रम
- ●औद्योगिक प्रगति
- ●सेवाक्षेत्र
- ●अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार
- ●शिक्षा
- ●चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
- ●समाज कल्याण
- ●श्रमशक्ति एवं सेवा योजन
- ●सतत् विकास

2.5. सकल स्थायी पूँजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation(GFCF))

2.5.1 सामान्य परिचय

अर्थ व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से पूँजी निवेश (investment) की दर पर निर्भर करता है जिसका आगणन सकल पूँजी निर्माण से किया जाता है। सकल पूँजी निर्माण के अनुमान में सकल स्थायी पूँजी निर्माण तथा स्टाक में परिवर्तन सम्मिलित होता है। राज्य स्तर पर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के ही अनुमान तैयार किये जाते हैं। सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थ व्यवस्था के विकास की योजना के निर्माण हेतु एक आवश्यक संकेतक है।

2.5.2 पृष्ठभूमि एवं कार्यविधि

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने का कार्य वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया गया।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधान के अनुसार तैयार कराये जा रहे हैं।
- राज्य आय अनुमानों की ही भांति सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 13 खण्डों हेतु तैयार किये जाते हैं।
- यह अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के लिए तैयार किये जाते हैं। अधिक्षेत्रीय (Supra regional) क्षेत्र के अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग, विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं स्थानीय निकाय के लिए अलग–अलग अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- प्रशासनिक विभाग व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान आय–व्ययक अभिलेखों से आंकलित किये जाते हैं।

- गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान तैयार करने हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्रत्येक वर्ष प्रदेश में कार्यरत प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त की जाती है। तदोपरान्त् प्रत्येक प्रतिष्ठान से उनकी बैलेन्स सीट प्राप्त करके उसका विश्लेषण कर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- स्थानीय निकायों के पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगम, समस्त नगर पालिका परिषद, समस्त छावनी परिषद, समस्त जल संस्थान, समस्त विकास प्राधिकरण, समस्त जिला पंचायत एवं प्रत्येक जिले से चयनित एक नगर पंचायत व प्रत्येक विकास खण्ड से चयनित एक ग्राम पंचायत के आय–व्ययकों का वर्गीकरण करके स्थायी पूँजी निर्माण के आँकड़े तैयार किये जाते हैं।
- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान विभिन्न समाजार्थिक एवं उद्यम सर्वेक्षणों के अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों/परिणामों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु अलग–अलग तैयार किये जाते हैं।

2.5.3 कैलेन्डर

प्रदेश के आय–व्ययक(बजट) में दिये गये वास्तविक व्यय के अनुक्रम में उस वर्ष के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान 31 मार्च तक तैयार किये जाते हैं। मार्च 2018 में वर्ष 2015–16 के अनुमान निर्गत किये गये।

2.5.4 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान वर्ष 2017–18 खण्ड 5 के सभी 10 भागों से वर्ष 2015–16 के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत पूँजी निर्माण से सम्बन्धित मदों में हुए खर्चों का संकलन किया गया।
- वर्ष 2015–16 में प्रदेश में कार्यरत कुल 40 गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनकी बैलेन्स शीट प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर संकलन कार्य किया गया।
- स्थानीय निकायों के वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक का विश्लेषण कर संकलन किया गया।
- अर्थव्यवस्था के समस्त खण्डों के निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान तैयार किये गये।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अधिक्षेत्रीय क्षेत्र हेतु प्राप्त अधुनान्त आँकड़ों का प्रयोग कर राज्य हेतु वर्ष 2015–16 के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये गये।

2.5.5 मुख्य परिणाम

उ0प्र0 में सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान वर्ष 2015–16 (प्रचलित भावों पर)

(लाख रु0 में)

क्र.सं.	खण्ड	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	गत वर्ष 2014–15 से प्रतिशत वृद्धि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कृषि एवं पशुपालन	885656	949634	1835290	–19.93
2.	वन उद्योग तथालट्ठे बनाना	33012	1651	34663	17.71
3.	मछली उद्योग	50	27	77	97.44
4.	*खनन्* एवं पत्थर निकालना	801	3511	4312	22.74
5.	विनिर्माण	248087	1651649	1899736	4.57
6.	निर्माण कार्य	2202162	195578	2397740	58.38

7.	विद्युत, गैस तथा जल सम्पूर्ति	713202	4804	718006	52.15
8.	परिवहन, संग्रहण तथा संचार	320213	664559	984772	8.31
9.	व्यापार, होटल, जलपान गृह	20657	154453	175110	20.29
10.	बैंक, व्यापार तथा बीमा	119908	136773	256681	12.74
11.	स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवायें	70714	7786885	7857599	8.95
12.	सार्वजनिक प्रशासन	1641142	0	1641142	−18.90
13.	अन्य सेवायें	980898	254994	1235892	−15.16
योग		**7236502**	**11804518**	**19041020**	**5.18**

2.6 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण सम्बन्धी आँकड़ेः—स्थानीय निकायों से प्राप्त आंकड़ों का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है—

2.6.1 स्थानीय निकायों के आय—व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य—प्राप्त आंकड़ों से लेखा तालिकाऐं तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध करायी जाती हैं।

2.6.2 स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ें—प्राप्त आंकड़ों से ''उ0प्र0 के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकडें'' प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

2.6.1 स्थानीय निकायों के आय—व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य—

2.6.1.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय आय व राज्य आय में स्थानीय निकायों के अंश के आंकलन के लिये स्थानीय निकायों के वार्षिक आय—व्यय के आर्थिक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है।

2.6.1.2 पृष्ठ भूमि

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरुप स्थानीय निकायों के आय—व्ययक (बजट) वर्गीकरण सम्बंधी कार्य वर्ष 1976 में प्रारम्भ किया गया था।

2.6.1.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय—व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य हेतु प्रदेश की समस्त नगर निगमों (14), नगर पालिका परिषदों (198), जिला पंचायतों (75) एवं जल संस्थानों (12) छावनी परिषदों (13) नगर पंचायत (423), समस्त जनपदों से चयनित ग्राम पंचायतों (4623) के आँकड़े एकत्रित कर उसका आर्थिक वर्गीकरण तैयार किया जाता है। कोष्ठक में वर्ष 2015—16 की विद्यमान संख्या दर्शायी गयी है।

2.6.1.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से आय—व्ययक की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रभाग स्तर पर अनुसूची निर्धारित की गयी हैं। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त की जाती है। ग्रामीण व शहरी समस्त निकायों को सूचना एक ही अनुसूची पर प्राप्त कर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त

राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य करके तालिकाओं को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है।

2.6.1.5 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2015–16 की समस्त राज्य स्तरीय तालिकायें तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी।
- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2016–17 हेतु आँकड़े समस्त 75 जनपदों से प्राप्त किये गये। उक्त आँकड़ों का संकलन का कार्य किया जा रहा है।

2.6.2 स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ें–

2.6.2.1 उद्देश्य

राज्य की अर्थ व्यवस्था के मूल्यांकन के सन्दर्भ में तैयार किये जाने वाले राज्य आय अनुमानों विशेष रुप से निर्माण, जल सम्पूर्ति, सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवा खण्डों के अनुमान तैयार करने हेतु स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी आँकड़ों की आवश्यकता होती है।

2.6.2.2 पृष्ठ भूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार आदि से सम्बंधित सूचना/आंकड़े एकत्र करने का कार्य वर्ष 1967–68 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तत्सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन वर्ष 1983–84 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

2.6.2.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी आँकड़े प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों एवं छावनी परिषदों से एकत्र किए जाते है।

2.6.2.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से सूचना/आँकड़े प्राप्त करने हेतु प्रभाग द्वारा एक अनुसूची निर्धारित की गई है। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त अनुसूची पर स्थानीय निकायों से आंकड़े प्राप्त कर प्रभाग द्वारा तैयार साफ्टवेयर पर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है।

प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2.6.2.5 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी वर्ष 2015–16 के आँकड़े प्रदेश के समस्त 75 जनपदों से प्राप्त कर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर पत्रिका का प्रकाशन किया गया।

- इसी क्रम में स्थानीय निकायों के वर्ष 2016–17 के आँकड़े समस्त 14 नगर निगमों, 199 नगर पालिका परिषदों, 427 नगर पंचायतों, 75 जिला पंचायतों, 12 जल संस्थानों (उपशाखा सहित) से एकत्र किये गये। उक्त आंकड़ों के संकलन का कार्य किया जा रहा है।

2.6.2.6 मुख्य परिणाम

- वर्ष 2015–16 में स्थानीय निकायों की कुल आय 1235894.87 लाख रु0 रही जबकि विगत वर्ष 2014–15 में कुल आय 1248710.52 लाख रु0 थी। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में आय में लगभग 1.03 प्रतिशत की कमी हुई।
- कुल आय में राजस्व कर से आय 138336.45 लाख रु0 रही। करेत्तर राजस्व का योगदान 170259.51 लाख रु0 तथा अनुदान अंशदान व ऋण से आय 927298.91 लाख रु0 था। कुल आय में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा अनुदान का प्रतिशत अंश क्रमशः 11.19,13.78 तथा 75.03 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2014–15 में स्थानीय निकायों का कुल व्यय 1139190.52 लाख रु0 था जो कि वर्ष 2015–16 में 26.08 प्रतिशत बढ़कर 1436293.09 लाख रु0 हो गया।
- कुल व्यय में सार्वजनिक निर्माण पर व्यय 41.81 प्रतिशत, विविध व्यय पर 35.68 प्रतिशत, सामान्य प्रशासन एवं राजस्व एकत्रीकरण पर व्यय 17.72 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य पर 3.23 प्रतिशत, सुरक्षा एवं सुविधा पर 0.96 प्रतिशत, ऋण की अदायगी पर 0.14 प्रतिशत तथा शिक्षा पर व्यय 0.46 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2015–16 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कुल 605352.48 लाख रु0 पूँजी निर्माण पर व्यय किया गया इस व्यय में प्रमुख रुप से नगर पालिका परिषद द्वारा 174738.76 लाख रु0 व्यय किये गये जो कि कुल पूँजी निर्माण पर व्यय का 28.87 प्रतिशत है। पूँजी निर्माण पर व्यय में 588754.36 लाख रु0 नव निर्माण पर व्यय किया गया जो कि कुल व्यय का 97.26 प्रतिशत था।
- प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 2016 को समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कुल 124330 कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें सर्वाधिक 55215(44.41 प्रतिशत), कर्मचारी अन्य सेवा में 54921 (44.17 प्रतिशत) कर्मचारी स्वच्छता सेवा में एवं 14194 (11.42 प्रतिशत) कर्मचारी जल सम्पूर्ति सेवा में कार्यरत् थे।

2.7–स्वायत्तशासी संस्थाओं की बैलेंस शीट के विश्लेषण संबंधी कार्य–

राज्य आय अनुमान तैयार करने हेतु निर्माण खण्ड, अन्य सेवाएं व सार्वजनिक प्रशासन खण्ड के आगणन हेतु प्रभाग द्वारा यह कार्य वर्ष 2014–15 में प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वायत्तशासी संस्थाओं व 30 जनपदों के 32 विकास प्राधिकरण के आय–व्यय संबंधी आंकडों के विश्लेषण का कार्य किया जाता है। वर्ष 2017–18 में 59 स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेस शीट के परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर वर्ष 2016–17 की लेखा तालिकाऐं तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में वर्ष 2017–18 की 72 स्वायत्तशासी संस्थाओं व 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेस शीट के विश्लेषण का कार्य किया जा रहा है।

******

अध्याय–3
क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग (रा.प्र.स)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा.प्र.स.) का गठन वर्ष 1950 में सांख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों का उपयोग करके असंगठित समाजार्थिक क्षेत्र के आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु किया गया था। इन आँकड़ों की उपयोगिता विशेष कर नियोजन एवं नीति–निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति (वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श के रूप में आँकड़े एकत्र करा रहा है।

3.1 क्षेत्राधीक्षण अनुभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाइयों का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण कार्य का सम्पादन कराया जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को आवृत्ति की विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। क्षेत्र में आवृत्ति से सम्बन्धित परिभाषाओं, संकल्पना, परिनिरीक्षण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी उठाई जाने वाली पृच्छाओं का समाधान किया जाता है। रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित किये जा रहे आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं तदर्थ सर्वेक्षणों से सम्बन्धित कार्यों को क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

3.1.1 वर्ष 2017–18 में सम्पादित किये गये मुख्य कार्यः–

➢रा0प्र0स0–73वीं आवृत्ति–

रा0प्र0स0–73वीं आवृत्ति (जुलाई, 2015 से जून, 2016) में सामाजार्थिक **विषय–असमाविष्ट गैर कृषि उद्यम (निर्माण को छोड़कर)** पर राज्य को आवंटित कुल 1676 प्रतिदर्श इकाइयों (ग्रामीण 864 व नगरीय 812) का अनुसूची 2.34 के माध्यम से सर्वेक्षित समस्त प्रतिदर्श इकाईयों के संग्रहित ऑकड़ों को वैलीडेट कराकर समंक विधायन हेतु संबंधित अनुभाग को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

➢रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति

रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति (जुलाई, 2016 से जून, 2017) विषय "List Frame Based Enterprise Focussed Survey On Services Sector" से सम्बन्धित है। रा0प्र0स0–74वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जुलाई, 2016 से 30 जून, 2017 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी। इस आवृत्ति को दो चरणों में सम्पन्न कराया जाता है।

इस आवृत्ति के प्रथम चरण में आर्थिक गणना (EC) व बिजनेस रजिस्टर की आवंटित कुल 21987 उद्यमों के सत्यापन के उपरान्त परिनिरीक्षित अनुसूचियों से आकड़ों में संशोधन पूर्व वित्तीय वर्ष में ही कराया जा चुका है।

इसी आवृत्ति के द्वितीय चरण के अन्तर्गत राज्य को आवंटित कुल 6282 (MCA-3768, EC-2082, BR-432) प्रतिदर्श इकाईयों का अनुसूची 2.35 के माध्यम से सर्वेक्षित समस्त प्रतिदर्श इकाईयों के संग्रहित आकड़ों को वैलीडेशन साफ्टवेयर के प्रथम फेज व तृतीय फेज (हाउलर) के माध्यम से वैलीडेशन की प्रकिया प्रगति पर है।

➢रा0प्र0स0–75वीं आवृत्ति

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0)–75 वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यह सर्वेक्षण तीन–तीन माह की 04 उपावृत्तियों में विभक्त है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 75 वी आवृत्ति उपभोक्ता व्यय तथा सामाजिक उपभोग स्वाथ्य एवं शिक्षा हेतु समर्पित है। इस आवृत्ति में अनुसूची 0.0 (परिवारो की सूची), अनुसूची 1.0 : **पारिवारिक उपभोक्ता व्यय,** अनुसूची 25.0: **पारिवारिक सामाजिक उपभोग : स्वास्थ्य** तथा अनुसूची 25.2 : **पारिवारिक सामाजिक उपभोग : शिक्षा** हेतु चयनित प्रतिदर्श परिवरों से आँकड़ों का संग्रहण किया जाना है।

इस सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग अर्थ व्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जायेगा। यथा सेवा क्षेत्र जिसका राष्ट्रीय/राज्य आय (GDP/GSDP) में अंश लगातार बढ़ रहा है कि राष्ट्रीय/राज्य आय में भागीदारी का और अधिक सटीक तरीके से मापन, सेवा क्षेत्र की रोजगार में भागीदारी, सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित विभिन्न सेवाओं/क्रिया कलापों का अध्ययन आदि।

रा0प्र0स0 75 वीं आवृत्ति में सर्वे कार्य सम्पन्न कराने हेतु रा0प्र0स0 कार्यालय भारत सरकार द्वारा दिनॉक 13 व 14.04.2017 को अयोजित प्रशिक्षकों की अखिल भरतीय कार्यशाला में राज्य से श्री वी0डी0पाण्डेय, संयुक्त निदेशक, श्रीमती अलका बहुगुणा ढ़ौडियाल, उपनिदेशक एवं डा0 श्रीनाथ यादव, उपनिदेशक द्वारा प्रतिभाग किया गया ।

उक्त के क्रम में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का अयोजन दिनॉक 06 व 07.07.2017 को सम्पन्न किया गया। जिसमें अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। इस आवृत्ति के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श की आवंटित कुल 1376 इकाईयों में से तृतीय उपावृत्ति तक आवंटित 1032 इकाईयों में से निर्धारित समयावधि मे 1031 इकाईयों का सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया ।

इस आवृत्ति में सर्वेक्षित इकाईयों के संग्रहीत आंकड़ों की डेटा इन्ट्री के उपयोगार्थ भारत सरकार के डी0पी0डी0 से प्राप्त डेटा इन्ट्री साफ्टवेयर का मुख्यालय पर दिनॉक 23.03.2018 को प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया । जिसमें प्रदेश के समस्त मण्डलों के अपर सॉख्यिकीय अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया गया। इन प्रशिक्षित प्रतिभागियों द्वारा अपने मण्डल के समस्त जनपदों के सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी एवं अपर सॉख्यिकीय अधिकारी (रा0प्र0स0) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

3.2 विश्लेषण अनुभाग

क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

3.2.1 कार्य एवं दायित्व

प्रभाग मुख्यालय पर विश्लेषण अनुभाग को मुख्यतः रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों का सारिणीयन पूर्व वैलीडेशन, समंक विधायन, सारिणीयन तथा रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन आदि का कार्य निर्धारित है। योजना आयोग, भारत सरकार से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के अनुमान निकालने हेतु निर्धारित कट–ऑफ–प्वाइन्ट्स के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुमान निकालने का कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। पावर्टी एवं सोशल मॉनीटरिंग परियोजना के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों के विधायन, विश्लेषण व रिपोर्ट आलेखन का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

रा.प्र.स. के आँकड़ों के आधार पर आवश्यकतानुसार अन्य स्टेटस पेपर भी समय–समय पर तैयार किया जाता है।

3.2.2 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- रा.प्र.स. 70वीं आवृत्ति की अनुसूची 18.1 (भूमि एवं पशुधन जोत) पर आधारित रिपोर्ट **''उत्तर प्रदेश में भूमि एवं पशुधन जोत (केवल ग्रामीण क्षेत्र)''** का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 70वीं आवृत्ति अनुसूची 18.2 (ऋण एवं निवेश) के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों पर आधारित रिपोर्ट **''उत्तर प्रदेश में ऋण एवं निवेश''** का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 70वीं आवृत्ति की अनुसूची 33 (कृषक परिवारों की स्थिति) पर आधारित रिपोर्ट **''उत्तर प्रदेश में कृषक परिवारों की अवस्थिति का मूल्यांकन''** का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 69वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.2 (पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य परिचर्या) के राज्य एवं केन्द्रीय प्रतिदर्श के एकत्रित आँकड़ों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट "A Report on Drinking water, Sanitation, Hygiene & Housing Condition In Uttar Pradesh" का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 71वीं आवृत्ति की अनुसूची 25.2(सामाजिक उपभोग : शिक्षा) पर आधारित रिपोर्ट ''उत्तर प्रदेश में सामाजिक उपभोग : शिक्षा'' का आलेखन का कार्य।
- पंचम पावर्टी एण्ड सोशल मॉनीटरिंग सर्वेक्षण–2016 में लगे सर्वेक्षकों/पर्यवेक्षकों, अर्थ एवं सख्याधिकारियों तथा उप निदेशकों (अर्थ एवं संख्या) के मानदेय भुगतान की कार्यवाही की गयी।
- पंचम पी.एस.एम.एस–2016 के आँकड़ों के विधायन हेतु संगणन विधि रा.प्र.स. कार्यालय, डी.पी.डी. कोलकाता के मार्गनिर्देशन में तैयार की गयी।
- पंचम पी.एस.एम.एस–2016 के आँकड़ों के सारिणीयन हेतु सारिणीयन कार्यक्रम तैयार किया गया।
- पंचम पी.एस.एम.एस–2016 के अन्तर्गत जनपदों से एकत्रित आँकड़ों के त्रुटि निवारण का कार्य कराया गया।

उत्तर प्रदेश में भूमि एवं पशुधन जोत (केवल ग्रामीण क्षेत्र) रा.प्र.स. 70वीं आवृत्ति अनुसूची 18.1 पर आधारित (जनवरी–दिसम्बर 2013)

- ग्रामीण क्षेत्र के 4914 परिवारों में से 2.17 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की आय का मुख्य स्रोत पशुपालन पाया गया। आय का प्रमुख स्रोत पशुपालन से सम्बन्धित परिवारों द्वारा धारित औसत भूखण्ड आकार 0.199 हेक्टेयर पाया गया।
- सामाजिक समूहवार वर्गीकरण करने पर सर्वाधिक 7.8 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं, जबकि 3.5 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति एवं सबसे कम 1.2 प्रतिशत परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के थे।
- मुख्य आय के स्रोत एवं भूखण्ड के वितरण के अनुसार 0.002–0.005 हेक्टेयर वाले भूखण्ड के स्वामित्व वाले मात्र 4.4 प्रतिशत परिवारों की आय का प्रमुख स्रोत पशुपालन था। बड़े भूखण्ड (10 हेक्टेयर से अधिक) तथा 5.0–7.5 हेक्टेयर के स्वामित्व वाले परिवार पशुपालन में स्व–नियोजित नहीं पाये गये।

- भूमिहीन परिवारों के पास स्वामित्व तथा कब्जे वाली भूमि प्रथम गमन के अन्तर्गत सबसे कम मात्र 2.96 प्रतिशत एवं द्वितीय गमन के अन्तर्गत मात्र 3.33 प्रतिशत पायी गई जबकि प्रथम एवं द्वितीय गमन के अन्तर्गत अन्य वर्गीकृत धारित भूमि वाले परिवारों के पास धारित भूमि का क्षेत्रफल अधिक पाया गया।
- सीमान्त भूमि (.002–1.000 हे.) वाले 76.4 प्रतिशत परिवारों के सदस्य रोजगार हेतु गाँव से दूर रहते पाए गए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग में सम्बन्धित का प्रतिशत क्रमशः 56.4, 93.4, 78.1 तथा 56.1 पाया गया जबकि वृहत भूमि (>10.000 हे.) धारित करने वाले सभी सामाजिक वर्ग के परिवारों में से कोई भी परिवार रोजगार हेतु गाँव से बाहर नहीं गया।
- सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम एवं द्वितीय गमन के अन्तर्गत अधिक धारित भूमि (10.000 हे.–20.000 हे.) वाले परिवार अनाज की फसल का उत्पादन सर्वाधिक करते पाए गए।
- परिचालन जोत में कार्यरत मजदूर हेतु भुगतान के वर्गीकरण से स्पष्ट है कि अधिकतर मजदूर के भुगतान का प्रकार नगदी एवं वस्तु पाया गया परन्तु भूमिहीन (<.002) एवं बड़े धारित भूमि (>10.000) वाले परिवार हेतु भुगतान का तरीका सभी वर्गो हेतु लगभग बराबर पाया गया।
- पशुपालन हेतु प्रचालित भूमि में जनवरी 2012 से जून 2012 एवं जनवरी 2013 से जून 2013 के दौरान वृद्धि दर्ज की गयी।
- भूमि का उपयोग के प्रकार के अनुसार जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 एवं जनवरी 2013 से जून 2013 अवधि के दौरान फसलोत्पादन तथा पशु/मत्स्य पालन हेतु कुल क्षेत्रफल का 12 प्रतिशत पाया गया।
- भूमिहीन वर्ग के परिवार द्वारा भूमि का उपयोग फसल उत्पादन एवं पशु/मत्स्य पालन हेतु वर्ष जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 की अवधि में अधिकतम 78 प्रतिशत पाया गया। साथ ही वर्ष जनवरी से जून 2013 की अवधि में 82 प्रतिशत पाया गया।
- पशुपालन हेतु कुल भूमि का अधिकतम उपयोग सीमान्त भूमि धारकों (0.002–1.000 हेक्टेयर) द्वारा किया गया, प्रथम गमन (जुलाई–दिसम्बर 2012) हेतु 76.49 प्रतिशत तथा द्वितीय गमन (जनवरी–जून 2013) हेतु 84.12 प्रतिशत पाया गया।
- पशुपालन हेतु उपयोगी सम्पूर्ण भूमि में से सर्वाधिक भूमि उपयोग दुग्ध उत्पादन में परिलक्षित होता है। प्रथम गमन के अन्तर्गत 97.54 प्रतिशत तथा द्वितीय गमन के अन्तर्गत 97.53 प्रतिशत भूमि का उपयोग दुग्ध उत्पादन हेतु दृष्टिगत हुआ।

उत्तर प्रदेश में ऋण एवं निवेश रा.प्र.स. 70वीं आवृत्ति अनुसूची 18.2 पर आधारित (जनवरी–दिसम्बर 2013)

- राज्य के ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्र में सर्वाधिक परिसम्पत्तियों का योगदान भूमि से पाया गया जो क्रमशः 74.73 प्रतिशत तथा 48.14 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- राज्य में 82 प्रतिशत परिवारों के किसी न किसी सदस्य का बैंक में, 9 प्रतिशत परिवारों में किसी न किसी सदस्य का पोस्ट आफिस में तथा 2 प्रतिशत परिवारों का किसी 'अन्य' में जमा खाता था।

- ग्रामीण क्षेत्र में 14.1 प्रतिशत परिवार किसान क्रेडिट कार्ड धारक पाये गये जबकि नगरीय क्षेत्र में मात्र 1.5 प्रतिशत परिवार ही पाये गये।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 23.1 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 8.4 प्रतिशत परिवार ऋणग्रस्त पाए गए। ग्रामीण क्षेत्र के कृषक परिवारों 27.1 प्रतिशत की अपेक्षा गैर कृषक परिवारों 13. 1 प्रतिशत में ऋणग्रस्तता कम पायी गयी। नगरीय क्षेत्र में स्वनियोजित एवं अन्य परिवारों की ऋणग्रस्तता में एक प्रतिशत का अन्तर पाया गया ।
- ऋण–परिसम्पत्ति अनुपात ग्रामीण क्षेत्र में 1.1 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 0.7 प्रतिशत था।
- ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में सर्वाधिक ऋण साधारण ब्याज पर लिये गये जिनमें ग्रामीण क्षेत्र के 9.1 प्रतिशत (23.1 प्रतिशत परिवार में से) तथा नगरीय क्षेत्र के 3.5 प्रतिशत (8.4 प्रतिशत परिवार में से) परिवार थे।ग्रामीण क्षेत्र के 6.5 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र के 2.4 प्रतिशत परिवारों द्वारा गैर–संस्थागत एजेंसियों से ब्याज मुक्त ऋण लिये गये।
- ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में परिसम्पत्तियों का औसत मूल्य सर्वाधिक 'अन्य' समाजिक वर्ग के परिवारों में पाया गया जो क्रमशः रू0 2210928 तथा रू0 3219866 अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक परिवार 36.6 प्रतिशत नियमित वेतन/मजदूरी में कार्य करते पाये गये जबकि अनुसूचित जाति के सर्वाधिक परिवार 35.7 प्रतिशत आकस्मिक मजदूरी में तथा अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य समूह के क्रमशः 39.9 प्रतिशत तथा 41.2 प्रतिशत परिवार स्व–नियोजित कार्य के अन्तर्गत आच्छादित पाये गये।
- ग्रामीण क्षेत्र में सभी सामाजिक समूह के परिवारों की तुलना में अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार सबसे अधिक 25.4 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार सबसे कम 18.3 प्रतिशत ऋणग्रस्त पाये गए। नगरीय क्षेत्र के सभी वर्गों की तुलना में अनुसूचित जनजाति के परिवार सर्वाधिक 9.2 प्रतिशत ऋणग्रस्त पाये गये।
- ग्रामीण क्षेत्र में अचल पूँजी पर औसत व्यय प्रति परिवार रू0 3652 अनुमानित हुआ जिनमें कृषक परिवार द्वारा रू0 4644 व्यय किया गया जो गैर कृषक परिवार रू0 1136 से चार गुना अधिक था। नगरीय क्षेत्र में अचल पूँजी पर अन्य परिवार (रू0 4672) की तुलना में स्वनियोजित परिवार रू0 5072 द्वारा अधिक व्यय किया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र में अचल पूँजी पर प्रति परिवार औसत व्यय सर्वाधिक रू0 5206 कृषि में स्वनियोजित परिवार द्वारा तथा नगरीय क्षेत्र में सर्वाधिक रू0 6853 नियमित मजदूरी/वेतनभोगी परिवार द्वारा किया गया।
- आवासीय भूमि एवं भवन के अंतर्गत अचल पूँजी पर प्रति परिवार औसत व्यय ग्रामीण क्षेत्र रू0 2178 की अपेक्षा नगरीय क्षेत्र रू0 3403 में अधिक पाया गया।
- राज्य में सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण पर प्रति परिवार औसत व्यय रू0 1206 किया गया जिनमें ग्रामीण परिवार द्वारा रू0 1177 तथा नगरीय परिवार द्वारा रू0 1292 व्यय किया गया।

- आवासीय भूमि एवं भवन के सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण हेतु सर्वाधिक व्यय रू0 869 अनुमानित हुआ जो ग्रामीण क्षेत्र रू0 831 की तुलना में नगरीय क्षेत्र रू0 983 के परिवारों द्वारा अधिक किया गया।

उत्तर प्रदेश में ऋण एवं निवेश रा.प्र.स. 70वीं आवृत्ति अनुसूची 33 पर आधारित (जनवरी–दिसम्बर 2013)

- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 154.98 लाख कृषक परिवार अनुमानित हुए। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कुल 884.62 लाख व्यक्ति अनुमानित हुए, जिसमें से 463.44 लाख (52.39 प्रतिशत) पुरूष तथा 421.18 लाख (47.61 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- राज्य में 593.26 लाख (67.06 प्रतिशत) व्यस्क तथा 291.36 लाख (32.94 प्रतिशत) बच्चे अनुमानित हुए। राज्य के परिवारों में लिंगानुपात 909 पाया गया।
- राज्य के 99.50 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास अपने स्वाधिपत्य के अन्तर्गत आवास अनुमानित हुए। 'किसी भी प्रकार की आवासीय इकाई नहीं' के अन्तर्गत सर्वाधिक अनुपलब्धता अनुसूचित जनजाति वर्ग के 2.80 प्रतिशत कृषक परिवारों हेतु अनुमानित हुई। जबकि, अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषक परिवारों हेतु यह शून्य रही।
- राज्य के 64.66 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास पक्के मकान, 20.92 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास अर्द्धपक्के मकान तथा 14.41 प्रतिशत कृषक परिवारों के पास कच्चे मकान अनुमानित हुए।
- राज्य में मनरेगा जॉब कार्डधारित कृषक परिवारों का प्रतिशत 22.00 अनुमानित हुआ।
- राज्य में 0.01 हेक्टेयर से कम भूमि धारित करने वाले कृषक परिवारों में 26.20 प्रतिशत परिवार मनरेगा जॉबकार्डधारक अनुमानित हुए। इसी प्रकार 0.01–0.40 हेक्टेयर के मध्य भूमि धारित करने वाले कृषक परिवारों में 27.30 प्रतिशत कृषक परिवार मनरेगा जॉबकार्डधारक अनुमानित हुए।
- राज्य में मुख्य पेयजल स्रोत के रूप में ट्यूबवेल/बोरवेल(भूछिद्र) का उपयोग करते सर्वाधिक 81.70 प्रतिशत कृषक परिवार अनुमानित हुए। 11.8 प्रतिशत कृषक परिवार पेयजल स्रोत 'नल' का उपयोग करते अनुमानित हुए।
- राज्य में कृषि कार्यकलाप स्तर के अन्तर्गत पुरूषों की साक्षरता 73.0 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता 38.8 प्रतिशत अनुमानित हुई, जबकि कृषक परिवारों में गैर–कृषि कार्यकलाप स्तर वाले पुरूषों की साक्षरता 86.7 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता 61.3 प्रतिशत अनुमानित हुई।
- राज्य में प्रथम एवं द्वितीय दोनों गमनों के अन्तर्गत कृषक परिवारों के सर्वाधिक 55.2 प्रतिशत व्यक्ति नियमित वैतनिक/मजदूर कर्मचारी के रूप में तथा न्यूनतम 0.7 प्रतिशत व्यक्ति पशुपालन (आय के मुख्य स्रोत) हेतु निवास स्थान से 15 अथवा अधिक दिनों के लिये बाहर रहते अनुमानित हुए।
- राज्य में प्रति कृषक परिवार की औसत मासिक आय रू. 7581.49 प्रति माह तथा कुल उपभोक्ता व्यय रू. 6349.52 प्रति माह अनुमानित हुआ।

- राज्य में कृषक परिवार की कुल आय में 24.63 प्रतिशत मजदूरी/वेतन, 48.47 प्रतिशत शुद्ध कृषि आय, 21.19 प्रतिशत शुद्ध पशुपालन आय तथा 5.71 प्रतिशत शुद्ध गैर–कृषि व्यवसाय के मद से प्राप्त होना अनुमानित हुआ।
- राज्य में फसली छमाही जुलाई–दिसम्बर 2012 में खेती के साधन के उपयोग के अन्तर्गत सर्वाधिक 58.9 प्रतिशत कृषक परिवार उर्वरक, 29.8 प्रतिशत कृषक परिवार खाद, 30.3 प्रतिशत कृषक परिवार पौधरक्षा रसायन तथा 38.0 प्रतिशत कृषक परिवार सिंचाई के साधन का उपयोग करते अनुमानित हुए।
- फसली छमाही जनवरी–जून 2013 में खेती के संसाधनों के अन्तर्गत सर्वाधिक 61.0 प्रतिशत कृषक परिवार उर्वरक, 40.4 प्रतिशत कृषक परिवार सिंचाई के साधन, 31.0 प्रतिशत कृषक परिवार खाद, 30.9 प्रतिशत पौधरक्षा रसायनों का उपयोग करते अनुमानित हुए।
- दोनों फसली छमाहियों में सर्वाधिक 41.9 व 48.5प्रतिशत कृषक परिवार गन्ना फसल से सम्बन्धित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी रखते हुए अनुमानित हुए।
- संयुक्त (combined) रूप से (दोनों फसली छमाहियों पर आधारित) राज्य में प्रति कृषक परिवार औसत मासिक व्यय रू. 894 अनुमानित हुआ, जिसमें से सर्वाधिक रू. 360 कृषि यंत्र एवं औजार तथा न्यूनतम रू. 127 गैर कृषि व्यवसाय हेतु अनुमानित हुआ।
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य वर्ग के अन्तर्गत प्रति कृषक परिवार औसत मासिक व्यय क्रमशः रू. 278, रू. 312, रू. 669, रू. 2178 अनुमानित हुआ।
- राज्य में प्रति कृषक परिवार कृषि उत्पादन हेतु किया गया औसत मासिक व्यय रू. 1428 तथा कृषि उत्पाद से औसत मासिक आय रू. 5310 अनुमानित हुआ।
- राज्य में प्रति कृषक परिवार पशुपालन हेतु किया गया औसत मासिक व्यय रू. 1642 तथा पशुपालन से प्राप्त औसत मासिक आय रू. 4643 अनुमानित हुआ।
- सामाजिक वर्गानुसार अध्ययन करने पर पाया गया कि सर्वाधिक 3.48 प्रतिशत ऋणग्रस्त परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत तथा न्यूनतम 0.74 प्रतिशत ऋणग्रस्त परिवार अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत अनुमानित हुए।

******

अध्याय–4
डेटा बैंक अनुभाग

डेटा बैंक अनुभाग द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा विभिन्न एजेंसियों से विकासोन्मुख द्वितीयक आँकड़े प्राप्त कर महत्वपूर्ण प्रकाशनों यथा–उ0प्र0 एक झलक, सांख्यिकीय डायरी, सांख्यिकीय सारांश, जिलेवार विकास संकेतक, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े आदि प्रकाशित किये जाते हैं। यह सभी प्रकाशन प्रतिवर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रभाग के जनपदीय कार्यालयों द्वारा ग्रामवार आधार भूत आँकड़े संग्रहित किये जाते है। इसके अन्तर्गत सुविधाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित की जाती हैं जो एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह सूचना प्रत्येक ग्रामों से सुविधा की दूरी के अनुसार एकत्रित कर विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर तैयार की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय पत्रिकाओं में उक्त आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिकाओं के आधार पर प्रभाग स्तर पर अन्तर्जनपदीय आँकड़े (वार्षिक प्रकाशन) प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की जनपदवार/मण्डलवार/क्षेत्रवार/प्रदेश स्तर के आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। समय–समय पर आवश्यकतानुसार तदर्थ प्रकाशन भी प्रकाशित किये जाते हैं। इस अनुभाग का मुख्य कार्य विकास सम्बन्धी द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण कर प्रकाशन के रूप में या सॉफ्टकापी में संरक्षित करना हैं। प्रकाशित प्रकाशनों में सांख्यिकीय डायरी एवं उ0प्र0 एक झलक प्रदेश को विधान मण्डल में माननीय सदस्यों को वितरित किया जाता है।

सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय हेतु प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 साँख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत 10 उपसमितियाँ हैं। इन उपसमितियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सदस्य हैं।

4.1 अनुभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले मुख्य प्रकाशनों का संक्षिप्त विवरण

4.1.1 सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश

सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक, सामाजिक एवं विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सम्बन्धित आँकड़ों का वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1968 से प्रतिवर्ष सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश का प्रकाशन किया जा रहा है । उक्त प्रकाशन में विभिन्न प्रमुख आँकड़ों को 25 अध्यायों के अन्तर्गत 152 तालिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में 12 ग्राफ/चार्ट्स भी दिये जाते हैं। इस प्रकाशन में अधुनान्त दो वर्षो के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से विगत पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष की भी सूचनाऐं प्रकाशित की जाती हैं।

सांख्यिकीय डायरी का प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग–अलग किया जाता है।

4.1.2 उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में)

यह प्रकाशन वर्ष 1991 से नियमित किया जा रहा है। इससे पूर्व इस प्रकाशन को फोल्डर के रूप में प्रकाशित किया जाता था। प्रदेश में विकास के महत्वपूर्ण मदों को एक दृष्टि में प्रदर्शित करने के लिये इसका प्रकाशन किया जाता है। यह प्रकाशन दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में उ0प्र0 के महत्वपूर्ण मदों के तीन वर्षों के आँकड़े होते हैं तथा द्वितीय खण्ड में भारत सरकार एवं उ0प्र0 के तुलनात्मक संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम खण्ड में 17 विभागों/सेक्टरों की सूचनाएं तथा द्वितीय खण्ड में 50 मदों के संकेतांक सम्मिलित हैं। उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में) का अंग्रेजी भाषा में रूपान्तर वर्ष 2009 से प्रारम्भ किया गया है।

4.1.3 जिलेवार विकास संकेतक, उ0प्र0

''उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक'' नामक प्रकाशन वर्ष 1978 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाशन से अर्न्तक्षेत्रीय विषमताओं का बोध होता है। वर्ष 2008 से इस प्रकाशन का नाम बदलकर ''जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश'' करते हुए प्रकाशन को द्विभाषी कर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में उपलब्ध अधुनान्त संकेतकों के साथ ही विगत वर्ष के भी संकेतक दिये गये हैं। इस प्रकाशन को तीन भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम भाग में कुल 125 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है, जो मुख्यतया जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, उद्योग, बैंकिंग, वित्त तथा सहकारिता, रोजगार एवं मानवशक्ति तथा आय पर आधारित हैं। इसके द्वितीय भाग में प्रथम भाग के मदों पर ही आधारित 46 महत्वपूर्ण मदों के संकेतकों पर आधारित उच्चतम एवं निम्नतम मान वाले पाँच–पाँच जनपदों को चिन्हित करते हुए उनके विकास संकेतकों को प्रकाशित किया जाता है । इस वर्ष से तृतीय भाग में कुछ महत्वपूर्ण मदों के विकास संकेतकों को आधार मानते हुए जनपदों व सम्भागों का सेक्टरवार श्रेणीकरण किया गया है। यह श्रेणीकरण इस प्रकाशन में प्रथम बार सम्मिलित किया गया है, जो जनपदों एवं सम्भागों की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं उनमें विकास के स्तर को पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है।

4.1.4 सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश

''सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश'' नामक प्रकाशन वर्ष 1961 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1986 से इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर आधारित, संशोधित कर प्रकाशित किया जा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस प्रकाशन की अधिकांश तालिकाओं में विगत वर्षों की राज्यस्तरीय सूचनाओं के साथ ही उपलब्ध अधुनान्त वर्ष की जनपदवार सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकाशन में तीन खण्डों सामाजिक साँख्यिकी, आर्थिक साँख्यिकी एवं अन्य साँख्यिकी के अन्तर्गत कुल 35 अध्याय दिये जाते हैं। इसमें समाजार्थिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य आय, कृषि, पशुपालन, परिवहन, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, वित्त तथा सार्वजनिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि सम्बन्धी आँकड़ों का समावेश किया जाता है।

4.1.5 अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े

अन्तर्राज्यीय विषमताओं का बोध कराने के उद्देश्य से ''अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े'' नामक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन तैयार किया जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1976 से प्रारम्भ किया गया। यह प्रकाशन दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में भारत के 29 प्रमुख व 7 केन्द्रशासित राज्यों के आँकड़ों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के भी आँकड़ों का समावेश किया गया है, जिनसे प्रमुख राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत से प्रदेश के विकास का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वितीय भाग में महत्वपूर्ण समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं।

इस प्रकाशन हेतु अपेक्षित आँकड़े भारत सरकार के सम्बन्धित विभिन्न विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्यों के साँख्यिकीय ब्यूरो तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

4.1.6 अन्तर्जनपदीय ऑकड़े

प्रदेश के ग्रामों में उपलब्ध आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं एवं उनकी ग्रामों से दूरी के ऑकड़े जो प्रतिवर्ष जनपदीय सॉख्यिकीय पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं, उन्ही सूचनाओं

के आधार पर प्रभाग द्वारा वर्ष 1996 से इस प्रकाशन को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2015 से यह प्रकाशन प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाने लगा है तथा इसी वर्ष से इसमें भाग–2 सम्मिलित किया गया है जिसमें सम्भागवार रैंकिग प्रदर्शित की गयी है।

4.1.7 जनपद एवं मण्डल की साँख्यिकीय पत्रिका

यह प्रकाशन जनपद स्तर पर वर्ष 1976 एवं मण्डल स्तर पर वर्ष 1980 से प्रारम्भ किये गये। इस प्रकाशन में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के आँकड़ें प्रकाशित किये जाते हैं यथा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, कृषि, पशुगणना तथा कृषि गणना, पशुपालन तथा मत्स्य, सहकारिता, उद्योग, सामान्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत, परिवहन एवं संचार, संस्थागत वित्त, जल सम्पूर्ति, पेयजल, भाव तथा अन्य विविध विषयों के आँकड़ें एवं संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रारम्भ में यह प्रकाशन मैन्युअली प्रकाशित किये जाते थे। वर्ष 1995 से यह पत्रिका वेब बेस्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार 1995 से 2016 तक की सांख्यिकीय पत्रिकायें प्रभाग की वेबसाइट Updes.up.nic.in इण्टरनेट पर उपलब्ध है।

4.1.8 जनपद एवं मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा

मण्डल एवं जिला समाजार्थिक समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1980 से वर्षानुवर्ष तैयार करना प्रारम्भ किया गया है। इन प्रकाशनों में कुल 17 अध्याय निर्धारित हैं और प्रत्येक अध्याय के अर्न्तगत मदों का भी निर्धारण किया गया है। इस प्रकाशन में जनपद की अर्थ– व्यवस्था की विस्तृत विवेचना के साथ ही प्रमुख विषयों यथा कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, पर्यटन का तथ्यात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। इन प्रकाशनों में प्रमुख विषयों को ग्राफ/चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है।

4.1.9 विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका

विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किया गया है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें चार अध्यायों के अर्न्तगत प्रथम अध्याय में विकास खण्ड एक दृष्टि में, द्वितीय अध्याय में महत्वपूर्ण विकास खण्ड संकेतक, तृतीय अध्याय में विकास खण्ड का आर्थिक कार्य कलाप तथा चतुर्थ अध्याय में राजस्व ग्राम एक दृष्टि में से सम्बन्धित ऑकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

4.1.10 विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा

विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा का भी प्रकाशन वर्ष 2003–04 से कराया जा रहा है। यह प्रकाशन भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में भी 16 अध्याय है। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर के सामाजिक एवं आर्थिक कार्योकलापों पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थ–व्यवस्था की विस्तृत विवेचना करने के एवं साथ ही प्रमुख विषयों, जनसंख्या आर्थिक स्थिति, कृषि, सिचाईं, पशुपालन, मत्स्य पालन विद्युत एवं खनिज, वित्तीय संस्थायें, सड़क परिवहन एवं संचार, शिक्षा, समाजिक सेवाये, स्वस्थ, पेयजल, पर्यटन एवं नियोजन के बारे में अधुनान्त सूचनायें दी जाती हैं। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर की प्रगति के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है।

4.1.11 ग्रामवार आधार भूत आँकड़ों का संग्रहण

ग्राम स्तर पर विकास योजना संरचना हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी आँकड़े नितान्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से वर्ष 1973 से प्रदेश के समस्त आबाद ग्रामों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा उस ग्राम के महत्वपूर्ण आँकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य विकास खण्डों में

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के तैनात सहायक विकास अधिकारी (साँ.) के पर्यवेक्षण में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किया गयाा। इनके संग्रहण हेतु रूप पत्र निर्धारित है जिसके खण्ड–1, में परिचयात्मक विवरण तथा खण्ड–2 से 15 तक में जनगणना सम्बन्धी सूचनायें, पशुगणना, कृषि गणना, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा, यातायात एवं संचार, विविध अवस्थापना सुविधा, विपणन भण्डार गृह, ऋण सुविधायें, पारिवारिक उद्योग, व्यवसाय, कृषि साँख्यिकी तथा मुख्य फसलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल सम्मिलित है। ग्राम स्तरीय आँकड़े प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संग्रह किये जाते हैं। इन आँकड़ों के आधार पर जिला साँख्यिकीय पत्रिका की तालिका–64, सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या तैयार की जाती हैं।

4.1.12 उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 2/39(3)–नियोजन विभाग (क) दिनांकः लखनऊ 8, अगस्त, 1969 द्वारा उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। शासनादेश के अनुसार इस समिति के अधीन विभिन्न विषयों पर 10 उपसमितियों का गठन किया गया है। समिति के संयोजक आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक तथा सदस्य विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं।

10 उपसमितियाँ निम्न हैं।

1–भूमि उपयोगिता, कृषि एवं वन
2–उद्योग, खनिज एवं श्रम व रोजगार
3–सड़क एवं परिवहन
4–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5–पशुपालन एवं मत्स्य
6–सिंचाई, लघु सिंचाई एवं विद्युत
7–बैकिंग, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी एवं सहकारिता
8–शिक्षा एवं प्रावैधिक शिक्षा
9–सांख्यिकीय डायरी
10–क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक

4.2 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

4.2.1 प्रभाग स्तर पर तैयार प्रकाशन

1– उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में), 2017 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
2– साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2017 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
3– जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश, 2017
4– साँख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश, 2017
5– अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़ें 2016
6– अन्तर्जनपदीय ऑकड़ें 2016

4.2.2 मण्डल/जनपद/ विकास खण्ड स्तर पर प्रकाशित प्रकाशन

1– मण्डलीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2017
2– मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा, 2017
3– जनपदीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2017
4– जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, 2017
5– विकास खण्ड की साँख्यिकीय पत्रिका, 2017
6– विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा, 2017

4.3 ग्राम्य विकास से सम्बन्धित कार्य

4.3.1 पृष्ठभूमि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अचंल के विकास हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में विभिन्न कार्यक्रम यथा– अवस्थापना सम्बन्धी, रोजगार परक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इनकी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत प्रभाग स्तर पर **''सामुदायिक विकास अनुभाग''** गठित किया गया जिसे बाद में ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग कर दिया गया।

आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास के पत्र संख्या 7137/38–2–335/79 दिनांक 25.9.1981 एवं पत्र संख्या–80/प्र0बो0–23/92 दिनांक 13–3–2000 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में संचालित विकास कार्यों की मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा तैयार की जाती थी। वर्तमान में माह मार्च 2018 से ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रतिवेदन में नई योजनाओं का समावेश करते हुए पुरानी बन्द हो चुकी योजनाओं को हटा दिया गया है तथा उपरोक्तानुसार ही नये डेटा इन्ट्री साफ्टवेयर की तैयारी भी की गई है । मार्च 2018 से नये प्रारूपों पर रिपोर्ट बनाई जायेगी ।

कृषि विभाग

1. भूमि संरक्षण
2. मृदा परीक्षण
3. गुणात्मक बीज वितरण
4. रासायनिक उर्वरक वितरण
5. जैव उर्वरक वितरण
6. सूक्ष्म पोषक तत्व
7. कृषि प्रदर्शन
8. कृषि रक्षा कार्यक्रम–रसायन वितरण
9. कृषि यंत्र वितरण
10. सोलर फोटो बोल्टाइक पम्प
11. स्प्रिंकलर सेट वितरण

12–फसली ऋण वितरण

13–प्रद्यान मंत्री फसल बीमा योजना

एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंन्ट प्रोग्राम (आई0डब्लू0 एम0पी0)

1. भौतिक प्रगति (आच्छादित क्षेत्रफल)

वन

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित कुल पौधे
2. अग्रिम मृदा कार्य (एडवांस स्वायल वर्क)
3. नर्सरी में पौध उत्पादन
4. सृजित रोजगार

उद्यान एवं फल उपयोग

1. पौधों का वितरण
2. आलू के उत्तम बीज का वितरण
3. सब्जी बीज वितरण
4. खाद्य प्रसंस्करण
5. मौन पालन
6.ग्रीन हाऊस निर्माण

पशुपालन

1. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस)
2. नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर उन्नतिशील साड़ों से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस)
3. रोगों की रोकथाम के लिए पशुओं/पक्षियों को लगाये गये टीके
4. रोगी पशुओं की चिकित्सा

दुग्ध विकास

1. आपरेशन फ्लड–2 योजना
2. नान आपरेशन फ्लड योजना
3. महिला डेरी परियोजना

मत्स्य

1. अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयों में संचय
2. अंगुलिकाओं का निजी मत्स्य पालकों एवं ग्राम पंचायतों को वितरण
3. ग्राम पंचायत के तालाबों को किये गये पट्टे
4. तालाबों का सुधार
5. विभागीय जलाशयों में मछली उत्पादन

निजी लघु सिंचाई

1. व्यक्तिगत कार्य
2. बोंरिग

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

1. भवन निर्माण
2. खडंजा निर्माण/इन्टरलाकिंग
3. पुलिया निर्माण
4. पक्का (लेपन स्तर तक) मार्ग निर्माण
   5–सी.सी. रोड का निर्माण

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

1. नई लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
3 अंन्य योजना

खादी एवं ग्रामोद्योग

1. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना
2. अन्य योजना

वस्त्रोद्योग (हथकरघा)

1. स्थापित नई इकाइयाँ
2. रोजगार सृजन

रेशम उद्योग

1.शहतूत/अर्जुन नर्सरी स्थापना
2. कुल पालित कीटाण्ड
3. कुल कोया उत्पादन
4. उत्पादित रेशम धागा की मात्रा
5. कीट पालकों की संख्या
6. कीट पालकों को वितरित ऋण

सहकारिता

1. सदस्यता में वृद्धि
2. अंशदान में वृद्धि
3. निक्षेप संचय
4. अल्प कालीन ऋण वितरण
5. मध्यकालीन ऋण वितरण
6. दीर्घकालीन ऋण वितरण
7. सरकारी देयों की वसूली (अल्प कालीन व मध्य कालीन)
8. दीर्घ कालीन ऋण वसूली
9. निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारित रोगी
2. प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या
3. नसबन्दी
4.कुल संस्थागत प्रसव
5.जननी सुरक्षा योजना के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
6.ड्राप बैंक सुविधा प्राप्त लाभार्थी ।
7.एम0सी0टी0एस0 पोर्टल के अनुशार वर्ष में जन्में बच्चों की संख्या (जिनका पूर्ण टीकाकरण किया गया)

शिक्षा

1. उच्च प्राथर्मिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण
2. विद्यालयों का विद्युतीकरण

3.मिड–डे मिल अन्तर्गत लाभान्वित छात्र/छात्रायें
4.पुस्तक वितरण किये गये छात्र/छात्रायें
5.ड्रेस वितरण किये गये छात्र/छात्रायें

पंचायत एवं ग्रामीण स्वच्छता

1. पंचायत उद्योग
2. पंचायत कर वसूली
3. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्य
4. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्यों पर कुल व्यय
5. शौचालयों का निर्माण
6. इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प की स्थापना
7. जल निगम द्वारा रिबोर किये गये हैण्ड पम्प
8. पाइप लाइन द्वारा लाभावित ग्राम
9.नई पाइप लाइन योजनाओं का निर्माण
10. गुणवक्ता प्रभावित वस्तियों का संतृप्तीकरण

समाज कल्याण

1. स्वतः रोजगार योजना
2. अनुगम द्वारा संचालित निःशुल्क बोंरिग
3. अनुगम द्वारा संचालित दुकान निर्माण
4.परिवारिक लाभ योजना
5. छात्रवृत्ति
6. पेंशन
7. पेंशन, वितरण धनराशि

बाल विकास एवं पुष्टाहार

1.समन्वित बाल विकास परियोजना (लाभान्वित व्यक्ति)
2. आंगनवाड़ी कन्द्रों का निर्माण

वैकल्पिक ऊर्जा

1. बायोगैस संयंत्र की स्थापना
2. सोलर लालटेन वितरण
3. सोलर कुकर वितरण
4. सोलर घरेलू बत्ती
5. सोलर पावर प्लांट
6. सोलर वाटर हीटर
7.सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना

ग्राम्य विकास

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)
2. महत्मागॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)
3. ग्रामीण आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना)
4. अन्य ग्रामीण आवास

प्रादेशिक विकास दल

1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता
2. ग्रामीण व्यायामशालाओं की स्थापना
3. युवक/महिला मंगलदलों को प्रोत्साहन
4. सेमिनार/संगोष्ठी का आयोजन

अल्प बचत

1. शुद्ध जमा धनराशि

4.3.2 प्रतिवेदन सम्प्रेषण समय सारिणी

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या 80/प्र0बो0–23/92 (अर्थ एवं संख्या) दिनांक 13.03.2000 द्वारा उक्त का सम्प्रेषण सुनिश्चित कराने हेतु निम्न समय सारणी बनायी गयी, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य हो रहा है।

1 –	ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं) द्वारा खण्ड विकास अधिकारी की मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	सम्बन्धित मास का अन्तिम कार्य दिवस
2 –	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 5 तारीख तक
3 –	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 10 तारीख तक
4 –	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिवेदन कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग तथा विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 20 तारीख तक
5 –	विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त को आख्या	अगले मास की 30 तारीख तक

4.3.4 निरीक्षण/परिनिरीक्षण

प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विकास खण्डों का निरीक्षण एवं ग्रामों में जाकर कार्यक्रमों की प्रगति ज्ञात करने हेतु स्थलीय सत्यापन किया जाता है। आर्थिक बोध एवं सख्या निदेशक

के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 96/प्र0बो0–30/81 दिनांक 17.01.1985 द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम भाग में विकास खण्ड में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा द्वितीय भाग में सहायक विकास अधिकारी (सा.) द्वारा रखे जाने वाले साँख्यिकीय अभिलेखों के निरीक्षण तथा तृतीय भाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के निरीक्षण तथा ग्राम में हुये विकास कार्यों के स्थलीय सत्यापन का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये।
क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों के मानक निर्धारित करने हेतु आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशा0 पत्र 182/प्र0बो0–31/92 दिनांक 09.08.2000 के अनुसार 6 से अधिक विकास खण्डों वाले जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रत्येक माह कम से कम दो विकास खण्डों के निरीक्षण तथा 6 विकास खण्डों तक के जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रति माह कम से कम एक विकास खण्ड के निरीक्षण (प्रत्येक विकास खण्ड के वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण) निर्धारित है । इसी प्रकार मण्डलीय उप निदेशक हेतु प्रति माह 3 निरीक्षण का नार्म निर्धारित किया गया है एवं निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना है।

उक्तानुसार प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों यथा सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय), अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपनिदेशक (अर्थ एवं सख्या) द्वारा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण/फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं अपूर्ण/फर्जी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पत्र व्यवहार तथा इसकी सूचना समीक्षा हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाती है। इन समस्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग द्वारा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त इनके निरीक्षणों का श्रेणीबद्ध भीं किया जाता है।

4.4 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

4.4.1 क्षेंत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणः– वर्ष 2017–18 के मध्य विभिन्न मण्डलों से उपनिदेशकों एवं अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा प्रभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सामुदायिक विकास कार्यों के निरीक्षण पूर्ण किये गये । जिन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष कम निरीक्षण किये गये उनको भविष्य में लक्ष्यों के सापेक्ष शत प्रतिशत निरीक्षण करने हेतु पत्र निर्गत किये गये।

4.4.2 ग्राम विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदनः– वर्ष 2017–18 के मध्य प्रतिवर्ष निर्धारित 12 प्रगति प्रतिवेदन के सापेक्ष जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से मण्डलीय उपनिदेशको को प्रेषित की गयी तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित की गयी।ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट के नये साफ्टवेयर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है । ग्राम्य विकास कार्यो की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह मार्च 2018 की सूचना सशोधित रूपपत्र पर एकत्र कर नये साफ्टवेयर के डेटा इन्ट्री प्रपत्र पर प्रेषित करने के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है। समस्त जनपदों से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद मुख्यालय स्तर पर रिपोर्ट प्रकाशित की जायेगी ।

4.4.3 स्थलीय सत्यापन कार्य

जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रति माह 2 निरीक्षण, 6 विकास खण्ड तक के जनपदों शामली, रामपुर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्व नगर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, तथा सन्तरविदास नगर में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है । इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाईयो का स्थलीय सत्यापन किया जाता है ।

मण्डलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (सॉ0) द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या– 2017–18

क0सं0	वर्ष 2017–18 में निरीक्षणो की कुल संख्या	ग्राम्य स्तरीय कर्यकर्ता की रिर्पोट के अनुसार इकाई संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	फर्जी
1	2	3	4	5	6
1	7898	210142	210016	126	–

वर्ष 2017–18 में उपनिदेशक, अर्थ एव संख्याधिकारी एवं सहायक सांख्यकीय अधिकारी पूर्व पद नाम सहायक विकास अधिकरी (सां0) द्वारा कोई भी फर्जी इकाई नहीं पायी गयी ।

वर्ष 2017–18 में क्षेत्रीय अधिकारियां द्वारा ग्राम्य विकास कार्यो के किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है :–

क0सं0	अधिकारी के पदनाम	माह मार्च 2018 में कार्यरत अधिकारियों की संख्या	वर्ष 2017–18 में लक्ष्य के सापेक्ष किये गये ग्राम्य विकास कार्यो के कुल निरीक्षणों की संख्या
1	2	3	4
1–	उपनिदेशक	16	343/567
2–	अर्थ एवं संख्याधिकारी	88	993/1796
3–	सहायक विकास अधिकारी (सां0)	–	प्रभाग मुख्यालय पर सह0वि0अधि0 के निरीक्षणों का संकलन नहीं किया जाता है ।

******

अध्याय–5
भाव अनुभाग

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भावों से सम्बन्धित आँकड़ों के एकत्रीकरण, परिनिरीक्षण, संग्रहण तथा भाव सम्बन्धी सांख्यिकी एवं नियमित सूचकांकों को तैयार करने और उनके रखरखाव का कार्य प्रभाग के भाव अनुभाग द्वारा किया जाता है।

भाव अनुभाग के कार्यों को समान्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1.भाव व मजदूरी दरों के संग्रह का कार्य

2.भाव व मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

यह दोनों ही कार्य प्रभाग के स्थापना काल से ही चले आ रहे हैं। इसमें से भावों एवं मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है जबकि सूचकांक बनाने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाता है।

भाव संग्रह का उद्देश्य भावों में हो रहे उतार–चढ़ाव का अध्ययन करना तथा शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराना होता है। सूचकांक का उद्देश्य वर्ष विशेष की तुलना में हुए भावों/दरों के परिवर्तन की माप करना है। सूचकांक के निर्माण के लिए आधार वर्ष के भाव के साथ साथ वर्तमान भाव/ दर का होना आवश्यक है ताकि भावों/दरों में हुए उतार–चढ़ाव की प्रतिशत वृद्धि एवं ह्रास की जानकारी सम्भव हो सके।

भाव व मजदूरी की दरों के संग्रह व सूचकांक के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार हैः–

5.1 भावों / मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्यः–

5.1.1ग्रामीण फुटकर भाव

यह भाव 99 चयनित मदों के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड से प्रत्येक माह प्रथम बाजार दिवस को एकत्र कराये जाते हैं। इनका उपयोग ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.2 नगरीय फुटकर भाव

यह भाव 101 चयनित मदों के लिये प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये जाते हैं। इनका उपयोग नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.3 नगरीय अमानी मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक के मजदूरी की दरें संग्रहित की जाती हैं। यह जनपद के प्रत्येक नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम में चयनित दो अड्डों से संग्रह करायी जाती हैं। इनका उपयोग नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार किये जाने में किया जाता है।

5.1.4. ग्रामीण मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक (पुरूष/महिला), दर्जी, नाई, तेल की पेराई, ईंट की पथाई व चरवाहा की मजदूरी की दरें संग्रहीत की जाती हैं। यह दरें प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह करायी जाती है। इनका

उपयोग ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है। यह दरें प्रत्येक माह कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

5.1.5 थोक भाव (कृषि व अकृषीय)

- प्रदेश की 65 मण्डियों से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार),
- 48 मण्डियों के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव ,
- 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) संग्रह कराये जाते हैं।

  कृषि मदों के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को राज्य कृषि विपणन संगठन से एकत्र किये जाते हैं तथा अकृषीय मदों के थोक भाव फर्मो एवं वाणिज्यिक संस्थानों से संग्रह किये जाते हैं। इनका उपयोग थोक भाव सूचकांक तैयार करने, राज्य व जिला आय अनुमान तैयार करने के साथ–साथ भारत सरकार को भी उनकी मॉग के अनुरूप भेजा जाता है।

5.1.6 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव

यह भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से माह के प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर ई–मेल द्वारा प्रभाग मुख्यालय पर मंगाये जाते हैं। इन भावों में से 47 वस्तुओं के भावों के आधार पर प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा जिसमें गत सप्ताह, गत माह, गत त्रैमास एवं गत वर्ष के संगत सप्ताह के भावों से तुलनात्मक विवरण तैयार करके शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

5.1.7 भारत सरकार व अन्य विभागों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के भाव संग्रह का कार्य

- श्रम ब्यूरो शिमला के लिए पॉच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना । नये आधार वर्ष परिवर्तन हेतु गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए अन्य शेष केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना ।
- अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार को 20 केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे उपलब्ध कराया जाना।
- हापुड़ मण्डी के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह कराकर कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जाना।
- कानपुर नगर से बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर इलायची बोर्ड, गंगटोक को उपलब्ध कराया जाना
- कच्चे ऊन के 05 केन्द्रों (इलाहाबाद, जौनपुर, संत रविदासनगर, झांसी, रायबरेली) के थोक भावों को संग्रह कराकर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना।
- श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में रोजगार–बेरोजगार सर्वेक्षण किया जाना।

5.2 भाव/ मजदूरी की दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

5.2.1 उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक नगरीय मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक है। यह सर्वप्रथम 1948 को आधार वर्ष मानकर 1956 से तैयार कराया जा रहा था, जो उपभोग के स्वरूप में हुए परिवर्तन के कारण आधार वर्ष 1970–71 में परिवर्तित कर जुलाई 1981 से जून 2010 तक तैयार कराया गया । तदोपरान्त आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक प्रत्येक माह 101 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.2 ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक भी मध्यम वर्गीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक है । सर्व प्रथम यह सूचकांक आधार कृषि वर्ष 1954–55 के आधार पर जनवरी 1956 से तैयार कराया गया। पुनः आधार वर्ष को बदलकर 1957–58 व तत्पश्चात 1970–71 किया गया। उपभोग के स्वरूप में आये महत्पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक 99 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से सूचकांक लगातार प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.3 थोक भाव सूचकांक

यह सूचकांक कृषि व अकृषीय वस्तुओं पर आधारित थोक भाव सूचकांक है। सर्व प्रथम कृषि थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष 1957–58 एवं औद्योगिक थोक भाव सूचकाकं का आधार वर्ष 1948 है । तत्पश्चात दोनों सूचकांकों को सम्मिलित करते हुए यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 कर दिया गया है। पुनः इसे आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित कर दिया गया है। आधार वर्ष 2004–05 पर 286 मदों के लिए राज्य स्तरीय थोक भाव सूचकाँक तैयार कराये जाने का कार्य अप्रैल 2010 से नियमित रूप से किया जा रहा है। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर अप्रैल 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.4 ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकाँक

ग्रामीण व नगरीय मजदूरों के लिए तैयार कराये जाने वाला यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 पर त्रैमासान्त मार्च 1980 से तैयार कराया जाना प्रारम्भ किया गया था जिसे त्रैमासान्त जून 2010 तक बनाया गया। बाद में आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित

करके इसे जुलाई 2008 से जून 2016 तक लगातार राज्य स्तरीय व आर्थिक क्षेत्र स्तरीय त्रैमासिक ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक को लिया गया है जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक को लिया गया है।

5.2.5 कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकाँक

यह सूचकांक कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक व कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक का अनुपात है। यह सर्वप्रथम 1957–58 आधार वर्ष पर लगातार 1981–82 तक तैयार कराया गया बाद में आधार वर्ष परिवर्तित करके 1970–71 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर 2009–10 तक तथा तत्पश्चात वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष मानते हुए वार्षिक आधार पर राज्य स्तरीय सूचकांक वर्ष 2010–11 से नियमित रूप से तैयार कराया जा रहा है।

5.3 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

5.3.1 विभागीय प्रयोगार्थ भाव संग्रह का कार्य

आलोच्य वर्ष में अब तक विभिन्न भाव श्रृंखलाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित थोक/ फुटकर भाव संग्रह का कार्य किया गया :–

- प्रदेश के 65 मण्डियों से कुल 70 वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक थोक व फुटकर भाव राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से एकत्र कराये गये।
- राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के 48 प्रमुख मण्डियों से कृषीय 19 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया ।
- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में से कृषीय/अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 101 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के नगरीय फुटकर भाव प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराकर नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया जाता है।
- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस के कृषीय/अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 99 वस्तुओं के ग्रामीण फुटकर भाव संग्रह कराकर संग्रह कराकर ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया जाता है।
- प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से 47 वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के फुटकर भावों की प्रवृत्ति पर साप्ताहिक विश्लेषण कर समीक्षाएँ तैयार कर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद) एवं अपर मुख्य सचिव नियोजन, विशेष सचिव नियोजन तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (शोध) वाणिज्यकर विभाग को उपलब्ध कराई गई ।

5.3.2 भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह

1. अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक योजनान्तर्गत प्रदेश के पाँच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक तथा

87 वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्र के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा एकत्र कराकर सीधे श्रम संघ शिमला को भेजे गये।

2. अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, भारत सरकार के उपयोगार्थ प्रदेश के चयनित 20 केन्द्रों से 57 खाद्य एवं 40 अखाद्य आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार व अन्तिम शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्रों के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा संग्रह कराकर विश्लेषणात्मक टिप्पणी सहित भेजे गये।
3. हापुड़ मंडी से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह एवं संकलित कराकर गत माह के भावों के आधार पर भावान्तर विवरण के साथ प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के कार्यालय को भेजे गये ।
4. कानपुर नगर केन्द्र से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर ई–मेल के द्वारा भारत सरकार के इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, गंगटोक, सिक्किम को भेजे गये ।
5. प्रदेश के पॉच केन्द्रों यथा वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, झॉसी तथा रायबरेली से कच्चे ऊन के मासिक उत्पादन थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये गये।

5.3.3 मजदूरी दरें

1. प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को ग्रामीण मजदूरी की दरों के ऑकड़ें नियमित रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इन ऑकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया जिसमें से समस्त 75 जनपदों के विकास खण्डवार मजूदरी की दरों के परिनिरीक्षित ऑकड़ें आर्थिक एवं सॉख्यिकीय सलाहकार भारत सरकार को प्रत्येक माह ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराये गये ।
2. प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों/नगरपालिकाओं, नगर निगमों के चयनित दो–दो प्रमुख अड्डे/मुहल्ले से प्रथम अड्डे/मुहल्ले से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार की तथा द्वितीय अड्डे/मुहल्ले से आगामी सोमवार की अकुशल श्रमिक, राज एवं बढ़ई की नगरीय अमानी मजदूरी की दरों का संग्रह कराकर प्रभाग मुख्यालय पर उनके परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया।

5.3.4 भाव एवं मजदूरी दरों के सूचकाँकों का प्रकाशन

1. उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर त्रैमासान्त मार्च 2017 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2017 तक एवं उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 त्रैमासान्त मार्च 2017 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2017 तक तथा उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर त्रैमासान्त मार्च 2017 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2017 का सूचकांक प्रकाशित किया गया।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)

वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2017 का औसत सूचकांक
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य और तम्बाकू	147.72	145.43	153.04	155.58

2.ईंधन व प्रकाश	155.83	157.99	161.00	164.47
3.आवास	174.94	176.47	179.64	183.99
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	154.29	156.97	161.55	162.53
5.विविध	130.87	132.01	142.48	143.49
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	145.35	144.76	151.42	153.21
मध्य क्षेत्र	143.66	143.21	153.16	153.46
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	146.66	145.19	153.20	155.14
पूर्वी क्षेत्र	146.01	145.55	152.83	156.15
उत्तर प्रदेश	145.35	144.78	152.34	154.50

उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	**त्रैमासान्त मार्च 2017 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त जून 2017 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त सितम्बर 2017 का औसत सूचकांक**	**त्रैमासान्त दिसम्बर 2017 का औसत सूचकांक**
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य,पेय द्रव्य और तम्बाकू	143.32	142.11	149.78	150.31
2.ईंधन व प्रकाष	141.59	146.11	141.34	147.65
3.आवास	163.12	165.98	166.89	170.33
4.वस्त्र,बिस्तर एवं जूते	146.57	147.35	150.24	152.40
5.विविध	130.79	130.84	135.31	137.02
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	140.57	139.85	144.12	146.38
मध्य क्षेत्र	136.38	137.92	142.97	144.53
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	143.37	141.80	148.34	151.11
पूर्वी क्षेत्र	142.31	143.27	148.13	148.53
उत्तर प्रदेश	140.01	140.12	144.82	146.57

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2017 का औसत सूचकांक
समस्त	138.07	141.56	144.06	143.88
प्राथमिक	159.12	166.99	173.27	172.89
ईंधन व प्रकाश	165.94	165.81	174.60	175.85
विर्निमित	130.73	133.29	134.39	134.18

2– उत्तर प्रदेश का नगरीय एवं ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12 पर) त्रैमासान्त मार्च 2017 व त्रैमासान्त जून 2017 तथा (आधार वर्ष 2011–12 पर) त्रैमासान्त जुलाई 2017 व दिसम्बर 2017 का सूचकांक प्रकाशित किया गया ।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
क्रमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2017 का औसत सूचकांक
1	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) राज	147.55	149.15	153.36	155.70
	(ii) बढ़ई	150.53	153.36	158.29	161.98
	(iii) कृषि श्रमिक	163.21	168.70	167.45	168.78
2.	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) राज	171.97	172.30	171.67	171.28
	(ii) बढ़ई	169.73	170.73	171.23	171.27
	(iii) कृषि श्रमिक	183.86	188.73	188.14	185.87
3.	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) राज	175.91	180.69	182.51	183.15
	(ii) बढ़ई	189.74	202.34	208.86	207.83
	(iii) कृषि श्रमिक	143.49	151.91	154.75	154.75

4	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) राज	174.88	178.01	179.80	181.39
	(ii) बढ़ई	174.47	175.48	177.44	180.96
	(iii) कृषि श्रमिक	172.18	179.33	180.74	181.45
5	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) राज	161.23	163.38	166.07	167.75
	(ii) बढ़ई	164.19	166.49	169.79	172.80
	(iii) कृषि श्रमिक	168.26	174.39	174.39	174.90

उत्तर प्रदेश का नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)

क्रमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2017 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2017 का औसत सूचकांक
1.	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) राज	151.19	152.50	155.04	158.61
	(ii) बढ़ई	151.33	152.63	153.35	155.03
	(iii) अकुशल श्रमिक	162.75	166.04	166.82	168.85
2.	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) राज	165.95	166.14	167.04	168.19
	(ii) बढ़ई	170.20	172.33	176.47	177.01
	(iii) अकुशल श्रमिक	167.72	168.44	168.96	169.21
3.	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) राज	174.68	179.45	178.45	178.88
	(ii) बढ़ई	187.39	190.12	192.23	193.74
	(iii) अकुशल श्रमिक	172.90	174.21	175.63	176.80
4.	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) राज	170.23	172.29	178.33	178.60
	(ii) बढ़ई	170.91	173.30	176.65	184.52
	(iii) अकुशल श्रमिक	178.95	181.95	186.44	186.80
5.	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) राज	158.00	159.38	161.87	164.34
	(ii) बढ़ई	158.40	160.03	161.74	164.03
	(iii) अकुशल श्रमिक	167.45	170.01	171.47	172.74

5.3.5 क्रय–विक्रय समता सूचकांक का प्रकाशन

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश का कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) को कृषि वर्ष 2016–17 के लिए प्रकाशनार्थ अन्तिम रूप दिया गया ।

उत्तर प्रदेश का कृषीय क्रय–विक्रय समता सूचकांक
(आधार वर्ष 2004–05)

क्रम संख्या	कृषि वर्ष	कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक	कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक	कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक
1	2	3	4	5
1	2010–11	173.32	164.66	105.26
2	2011–12	180.88	169.26	106.87
3	2012–13	199.62	197.58	101.03
4	2013–14	227.36	219.84	103.42
5	2014–15	243.72	226.46	107.62
6	2015–16	269.27	238.49	112.91
7	2016–17 (आधार वर्ष 2011–12)	161.59	146.34	110.42(अनन्तिम)

******

अध्याय–6
औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं:–

1.औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई0आई0पी0)
2.वार्षिकउद्योग सर्वेक्षण (ए0एस0आई)

6.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

सामान्य परिचय

- औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी एवं विश्लेषण हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण कराया जाता है किन्तु सर्वेक्षण एवं उसके उपरान्त आँकड़ों का परिनिरीक्षण, संगणन कर पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगने वाले अपेक्षाकृत अधिक समय को देखते हुए तत्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं औद्योगिक विकास की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक त्वरित सूचक है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समुचित औद्योगिक गतिविधियों को सांख्यिकीय विधि के अनुसार मापन करके एक संख्या प्रस्तुत की जाती है जिसके परिमाण से उस समयावधि में किसी संदर्भ अवधि (आधार वर्ष) की तुलना में हुए औद्योगिक उत्पादन के स्तर का बोध होता है। इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की गतिशीलता की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।
- उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य की विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की प्रगति का संकेतक है। इसके द्वारा राज्य के उपयोग किये जाने वाले मदों में होने वाले परिवर्तन का आकलन किया जाता है।

राज्य स्तरीय सूचकांक –पृष्ठभूमि व कैलेन्डर

राज्य की औद्योगिक स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करने हेतु राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 1976 से प्रारम्भ की गयी। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक एवं वार्षिक तैयार किया जाता है। मासिक सूचकांक माह की समाप्ति के 2 माह उपरान्त एवं वार्षिक सूचकांक आगामी वर्ष के नवम्बर माह के अन्त तक तैयार किया जाता है।

आधार वर्ष

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने हेतु सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली मद तालिका में से पुराने व अप्रसांगिक मदों को छोड़कर नये व प्रचलित मदों को सम्मिलित करते हुए समय–समय पर आधार वर्ष को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के मार्ग निर्देशन में नवीन वर्ष पर परिवर्तित किया जाता है।

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1998 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2007 से आधारवर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2011 से आधारवर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।

- राज्य स्तर पर उपयोग आधारित सूचकांक वर्ष 2011–12 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।

6.1.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित)

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित) भारत सरकार की ही भांति औद्योगिक उत्पादन के तीन मुख्य खण्डों/सेक्टर यथा विनिर्माण, ऊर्जा व खनन में हो रही गतिविधियों के संयोजन पर आधारित है। इसके मुख्य सेक्टर विनिर्माण का सृजन राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों के उत्पादन संकलन से तैयार किया जाता है जो उन पृथक–पृथक औद्योगिक समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
  - राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एन.आई.सी. 2004 पर आधारित है।
  - सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

खण्ड	भार	कुल मदों की संख्या
विनिर्माण	740.10	149
खनन	110.16	4
ऊर्जा	149.74	1
योग	1000.00	154

6.1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)

- विभिन्न उपयोग आधारित सूचकांक औद्योगिक मदों के समूहों के संकलन से तैयार किया जाता है। जो पृथक–पृथक उपयोग समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा उपयोग आधारित सूचकांक एन.आई.सी. 2004 पर आधारित है।
- सूचकांक से संबंधित भारण आरेख एवं मदतालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

क्रमांक	वर्गीकरण	भार	कुल मदों की संख्या
i	आधारभूत वस्तुएं	483-80	21
ii	पूँजीगत वस्तुएं	46-65	17
iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	126-77	42
iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	342-78	71
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	70-60	27
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	272-18	44
योग		1000	151

प्रयुक्त आँकड़ें एवं उनके स्रोत

- सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त आँकड़ों एवं उनके स्रोत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

मद	आँकड़ों का स्रोत
वनस्पति	निदेशक वनस्पति,भारत सरकार
चीनी,खाण्डसारी	चीनी आयुक्त, उ0प्र0
आबकारी	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0
विनिर्माण खण्ड	चयनित 820 कारखानों से जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित हैं। प्रत्येक मास के उपरान्त 15दिन के पश्चात जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय द्वारा उक्त कारखानों से उत्पादन विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
खनिज खण्ड	आई.बी.एम. नागपुर, भारत सरकार
विद्युत खण्ड	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार

रीति विधायन

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये रीति विधायन का प्रयोग किया जाता है।

6.1.3 वार्षिक कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य

- कृषि उत्पादन सूचकांक द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति का आंकलन किया जाता है। कृषि उत्पादन की प्रगति का अनुमान परिमाण एवं मूल्य पर आधारित है।
- राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन सूचकांक वार्षिक अवधि में नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह सूचकांक वर्ष 1978–79 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1997–98 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2004–05 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया। वर्ष 2008–09 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया जा रहा है।

6.1.4 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- 2016–17 का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन उद्योग एवं उपयोग आधारित सूचकांक तैयार किया गया।
- वर्षान्तर्गत माह फरवरी 2017 (त्वरित) एवं माह जनवरी 2017 (अनन्तिम) से माह जनवरी 2018 (अनन्तिम) एवं माह फरवरी 2018 (त्वरित) 12 महीनों के औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक तैयार किये गये।

मुख्य परिणाम

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग/क्षेत्रवार)
मासिक सूचकांक (वर्ष 2016–17)

सेक्टर	अप्रैल 16	मई 16	जून 16	जुलाई 16	अगस्त 16	सितम्बर 16	अक्टूबर 16	नवम्बर 16	दिसम्बर 16	जनवरी 17	फरवरी 17	मार्च 17
खनिज	88.68	96.67	74.15	69.19	61.76	76.53	96.45	110.99	134.20	116.52	104.37	118.29
ऊर्जा	577.98	571.73	568.69	558.13	531..21	598.64	602.08	580.33	600.76	601.62	515.43	587.79
विनिर्माण	125.28	119.05	118.87	106.46	105.56	115.54	115.98	133.66	158.59	157..29	147.64	161..24
सामान्य सूचकांक	189.03	184.36	181.30	169.98	164.47	183.58	186.62	198.05	222.11	219.33	197.94	220.38

वार्षिक सूचकांक
वर्ष 2015–16 के सापेक्ष वर्ष 2016–17 में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि/कमी

सेक्टरवार सूचकांक	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	: वृद्धि वर्ष 2015–16 से वर्ष 2016–17
खनिज	75.24	95.65	27.13
ऊर्जा	532.40	574.48	7.90
विनिर्माण	132.73	130.43	–1.73
सामान्य सूचकांक	186.25	193.09	3.67

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)
मासिक सूचकांक (वर्ष 2016–17)

उपयोग आधारित वर्गीकरण	अप्रैल 16	मई 16	जून 16	जुलाई 16	अगस्त 16	सितम्बर 16	अक्टूबर 16	नवम्बर 16	दिसम्बर 16	जनवरी 17	फरवरी 17	मार्च 17
i.आधारभूत वस्तुएं	238.63	239.19	231.83	226.97	218.92	242.21	248.57	246.77	261.63	256.94	226.56	253.17
ii. पूँजीगत वस्तुएं	85.43	83.84	81.89	76.97	91.36	102.24	96..27	82.13	61.31	90.61	89.23	135.21

iii. मध्यवर्ती वस्तुएं	114.77	101.68	144.16	125.70	110.85	148.88	139.59	170.45	187.66	144.65	123.37	132.33
iv.कुल उपभोग की वस्तुएं	160.59	151.33	137..24	118.59	117.40	124.74	128.86	155.27	200.97	211.39	199.93	218.25
Iv-a टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	155.68	148.66	126.97	119.16	128.31	138.13	118.64	99.98	92.40	138.93	129.28	154.20
Iv-b गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	161.87	152.02	139.91	118.45	114.57	121..27	131.52	169.61	229.13	230.19	218.25	234.87
सामान्य सूचकांक	189.03	184.36	181.30	169.98	164.47	183.58	186.62	198.05	222.11	219.33	197.94	220.38

वार्षिक सूचकांक

वर्ष 2015–16 के सापेक्ष वर्ष 2016–17 में प्रतिशत वृद्धि/कमी

कमांक	उपयोग आधारित वर्गीकरण	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17	गत वर्ष के सापेक्ष : वृद्धि
i	आधारभूत वस्तुएं	224-42	240-93	7-36
Ii	पूँजीगत वस्तुएं	95-74	89-71	&6-30
Iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	139-85	137-01	&2-03
Iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	161-84	160-38	&0-90
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	149-21	129-20	&13-41
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	165-12	168-47	2-03
	सामान्य सूचकांक	186-25	193-09	3-67

कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सूचकांक (वर्ष 2016–17)

कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण (volume)

प्रमुख मद	वर्ष 2014–15(अंतिम)	वर्ष 2015–16(अनन्तिम)	वर्ष 2016–17(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2015–16	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2016–17
अनाज	96.63	102.67	136.73	6.25	33.17
दाल	59.92	48.78	99.66	–18.59	104.31
फल एवं सब्जी	136.31	145.92	152.71	7.05	4.65
गन्ना	85.25	79.04	94.16	–7.28	19.13
तिलहन	78.14	94.57	122.47	21.03	29.50
सामान्य सूचकांक	115.06	119.31	140.98	3.69	18.16

कृषि उत्पादन सूचकांक–मूल्य (value)

प्रमुख मद	वर्ष 2014–15(अंतिम)	वर्ष 2015–16(अनन्तिम)	वर्ष 2016–17(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2015–16	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2016–17
अनाज	224.63	252.58	348.56	12.44	38
दाल	175.29	194.60	337..24	11.02	73.30
फल एवं सब्जी	327.95	334.69	337.75	2.06	0.91
गन्ना	215.22	203.97	248.13	–5.23	21.65
तिलहन	180.30	222.45	219.43	23.38	1.36
सामान्य सूचकांक	245.30	260.10	314.90	6.03	21.07

6.1.5 कार्यशाला

राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलनात्मक श्रृंखला तैयार करने तथा आधार वर्ष को 2011–12 पर परिवर्तित करने हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिए केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा समीक्षा कार्यशाला दिनांक 26–27 फरवरी, 2018 को देहरादून, उत्तराखण्ड में आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में श्री अशोक कुमार पंवार, निदेशक अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0, श्रीमती शालू गोयल, उपनिदेशक एवं श्री कामता प्रसाद, अपर सांख्यिकीय अधिकारी ने प्रतिभाग किया।

6.2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणः–

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को सांख्यिकीय प्राधिकारी (स्टेटिस्टिकल अथॉरिटी) घोषित करके वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जाने लगा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रूप पत्र एवं दिशा निर्देशन में वर्ष 1960–61 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य उद्देश्य एवं फ्रेम

इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक नीति निर्धारकों एवं नियोजकों को औद्योगिक आंकड़े उपलब्ध कराना तथा राज्य/जिला आय के निर्धारण में विनिर्माण समूह के उद्योगों का अनुमान आकलित करना है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का फ्रेम प्रदेश में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा रखी जा रही पंजीकृत कारखानों तथा बीड़ी एवं सिगार प्रतिष्ठानों एवं विद्युत उपक्रमों के सम्बन्ध में लाईसेन्सिंग प्राधिकरणों द्वारा रखी जा रही सूचियों पर आधारित है। सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 1953 के अन्तर्गत सांख्यिकीय संग्रहण (केन्द्रीय) नियमावली 1959 के आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा–2 एम (i) व 2 एम (ii) में पंजीकृत कारखानों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता है। वर्ष 1989–90 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को प्रति 3 वर्षों में एक बार संशोधन/अद्यतन किया जाता हैं।

अवधि

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के संग्रहीत आंकड़ों का सम्बन्ध सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच किसी भी दिन समाप्त हुए लेखा वर्ष से है।

चयन प्रक्रिया

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की चयन प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2013–14 व वर्ष 2014–15 का फ्रेम दो भागों में वर्गीकृत है केन्द्रीय प्रतिदर्श एवं राज्य प्रतिदर्श तथा केन्द्रीय प्रतिदर्श को भी दो भागो में बॉटा गया है गणना व गैर गणना सेक्टर । गणना सेक्टर में वे कारखानों वर्गीकृत होते जिनमें 100 या 100 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं तथा जो संयुक्त रिर्टन भरते हैं उनको गणना कारखानों की श्रेणी में रखा जाता है। (अर्थात कारखानों का प्रबन्धक एवं मालिक एक हो और उसकी शाखाएं कई हों) उक्त के अतिरिक्त स्ट्रेटा के अर्न्तगत किसी जनपद की एन0आई0सी0 में चार या चार से कम इकाइयॉ हों उन सभी को गणना इकाई समझा जायेगा। गणना सक्टेर के समस्त कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया है एवं प्रतिदर्श सक्टेर में केन्द्रीय प्रतिदर्श के कारखानों का सर्वेक्षण भी भारत सरकार द्वारा किया गया है । भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य के प्रतिदर्श कारखानों का सर्वेक्षण अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जाता है।

वा0उ0स0 वर्ष 2013–14 व वर्ष 2014–15 से प्रतिदर्श चयन नये प्रतिदर्श अभिकल्प (New Sampling Design) के रुप में किया गया । नई प्रतिदर्श अभिकल्प के ढॉचे का निर्माण जिला स्तर पर 4 अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण– 2008 पर किया गया। इसके अनुसार औद्योगिक इकाइयों के फ्रेम में से गणना क्षेत्र के कारखानों के चयन के बाद अवशेष गैर गणना कारखानों में से केन्द्र व राज्य सर्वेक्षण हेतु समान रुप से 6 प्रतिदर्श चयन किये जाते है। पहले व तीसरे प्रतिदर्श का सर्वेक्षण भारत सरकार एवं दूसरे, चौथे,पॉचवा व छठा प्रतिदर्श का सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा किया गया।

सर्वेक्षण हेतु अनुसूची

सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये निर्धारित अनुसूची भाग–1 (विवरणी) का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाता है जिसमें परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, रोजगार एवं श्रम लागत, प्राप्ति, व्यय, लागत मदें– देशी एवं आयातित, उत्पाद एवं उपोत्पाद, विभाजक व्यय आदि के सम्बन्ध में आंकड़े संग्रह किये जाते है।

उद्योगों का वर्गीकरण

कारखानों के आर्थिक क्रिया कलापों में उद्योगों का वर्गीकरण प्रचलित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी कोड) का अनुसरण किया जाता है। वर्तमान में एन.आई.सी कोड 2008 का प्रयोग किया जा रहा है ।

सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट आलेखन

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता द्वारा उपलब्ध करायी हुई राज्य प्रतिदर्श कारखानों की सूची को जनपदवार/मण्डलवार वितरित करके जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रतिदर्श कारखानों को नोटिस अनुदेश, अनुसूची आदि प्रपत्र भेजकर आँकड़ों के संग्रहण का कार्य कराया जाता है। कारखानों के आँकड़ों की डेटा इन्ट्री/ वैलिडेशन करने हेतु प्रत्येक वर्ष सॉफटवेयर को तैयार/विकसित करके क्षेत्रों के सहायको को प्रशिक्षित किया जाता है। संग्रहित आँकड़ों का मण्डल स्तर पर परिनिरीक्षण व डेटाइन्ट्री/वैलिडेशन करने के उपरान्त प्रभाग को उपलब्ध कराया जाता है। प्रभाग स्तर पर सन्दर्भित वर्ष के राज्य व केन्द्र के आँकड़ों को जनपद के अर्न्तगत उद्योग वर्गानुसार मिलाने के उपरान्त निर्धारित गुणक से उद्योग वर्गानुसार अनुमान प्राप्त कर गणना कारखानों के आँकड़ों को जिलेवार एवं उद्योगवार अनुमानित आँकड़ों के साथ जोड़ कर जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय अनुमान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार तथा प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों को आमेलित कर गुणक का उपयोग करते हुए विनियोजित पूँजी, उपभुक्त सामग्री, कुल आगत, कुल निर्गत, उत्पादन का मूल्य, सकल आवर्धित मूल्य, मूल्य हास, शुद्व आवर्धित मूल्य आदि महत्वपूर्ण मदों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है।

6.2.1 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

1. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2013–14** के केन्द्रीय आँकड़े भारत सरकार से प्राप्त करके उन्हें राज्य के सर्वेक्षित आँकड़ों के साथ आमेलित करते हुए निर्धारित गुणक से 63 मदीय सूचना के विवरण व सारणीयन प्रोग्राम के अनुरुप आँकड़ों को उत्थापित करके आँकडों पर आधारित 4 अध्यायों, 3 परिशिष्टों, अध्याय 3 में 37 तालिकाओं, 17 ग्राफ अध्याय 4 में 20 तालिकाओं, 7 ग्राफ एवं 6 सारणियों तथा आवश्यक रेखाचित्रों सहित कतिपय नवीनताओं तथा परिवर्तनों/परिवर्द्धनों के साथ रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया।
2. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2014–15** के आवंटित 3339 कारखानों के सापेक्ष समस्त 3339 कारखानों के आँकड़ों का सर्वेक्षण, परिनिरीक्षण, डेटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन का कार्य पूर्ण कराया गया।
3. **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16** के राज्य प्रतिदर्श के 3468 कारखानों के आवंटन के सापेक्ष समस्त 3468 कारखानों के आँकड़ों का सर्वेक्षण, परिनिरीक्षण, डेटा इन्ट्री एवं वैलिडेशन का कार्य पूर्ण कराया गया तथा ए.एस.आई माड्यूल पर सबमिट डाटा को प्रभाग स्तर पर जांचकर समस्त 3468 कारखानों के आंकड़ों को Accept किया गया । वा0उ0स0 2015–16 का सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत कराया गया।

4.**वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2016–17** के राज्य प्रतिदर्श के 3751 कारखानों के सर्वेक्षण हेतु जनपदीय कार्यालयों को Sample List प्रेषित की गयी तथा कुल 3751 कारखानों के सापेक्ष माह अप्रैल तक 1428 कारखानों का सर्वेक्षण कार्य तथा 724 कारखानों का परिनिरीक्षण किया गया । वा0उ0स0 2016–17 का सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत कराया गया।

6.2.2 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2013–14 के मुख्य निष्कर्ष

1. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2013–14 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे में कुल 14552 कारखाने पंजीकृत रहे जिसमें 3443 कारखाने गणना के तथा 1421 केन्द्रीय प्रतिदर्श हेतु चयनित थे । 4864 कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया। राज्य के सर्वेक्षण हेतु 2956 कारखाने चयनित किये गये।
2. प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे के अनुसार कुल 14552 पजीकृत कारखानों में से पश्चिमी क्षेत्र में 10247 कारखाने, केन्द्रीय क्षेत्र में 2745 कारखाने, पर्वी क्षेत्र में 1428 कारखाने तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 132 कारखाने पंजीकृत पाये गये।
3. NIC-2 अंकीय कोड के अनुसार सबसे अधिक 13.5 प्रतिशत अंश के साथ 1967 कारखाने खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में पंजीकृत पाये गये। अन्य अधात्विक एवं खनिज उत्पादों के विनिर्माण (NIC-23) एवं फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण(मशीनरी तथा उपस्कर के अतिरिक्त) (NIC-25) में क्रमशः 1258 (8.6 प्रतिशत) व 1222 (8.4 प्रतिशत) कारखानों का पंजीयन दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा।
4. केन्द्र व राज्य के लिये चयनित व सर्वेक्षित 7820 कारखानो के सापेक्ष 6338 कारखाने कार्यरत पाये गये। उक्त के आधार पर राज्य में कुल 12612 कारखानें कार्यरत अनुमानित हुए ।
5. प्रदेश के समस्त उद्योगों में कुल आगत 3502292485 हजाऱ रूपये, निर्गत 4168756621 हजाऱ रूपये, सकल आवर्धित मूल्य 666464136 हजाऱ रूपये, मूल्य ह्रास 90078165 हजाऱ रूपये तथा शुद्ध आवर्धित मूल्य 576385971 हजाऱ रूपये रहा।
6. आगत व निर्गत मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान खाद्य उत्पाद के विनिर्माण(NIC-10) में क्रमशः 24.4 व 21.9 प्रतिशत रहा। शुद्ध आवर्धित मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक 9.7 प्रतिशत का योगदान बिजली,गैस एवं वातानुकूलिंग की आपूर्ति (NIC-35) में रहा।
7. शुद्ध आवर्धित मूल्य की दृष्टि से बिजली, गैस एवं वातानुकूलिंग की आपूर्ति (NIC-35) में 55671744 हजाऱ रूपये (9.7 प्रतिशत) के साथ प्रथम स्थान पर, 45300205 हजाऱ रूपये (7.9 प्रतिशत) के साथ खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) द्वितीय स्थान पर, तथा 41015747 हजाऱ (7.1 प्रतिशत) के साथ मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) तृतीय स्थान पर रहा।
8. राज्य के पंजीकृत कार्यरत कारखानों में कुल 721374 कर्मिक कार्यरत रहे जिसमें से सर्वाधिक 106511 (14.8 प्रतिशत) कर्मी खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में नियोजित रहे, तत्पश्चात पहनने के कपड़ों का विनिर्माण (NIC-14) में 10.0 प्रतिशत तथा फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी तथा उपस्कर के अतिरिक्त (NIC-25) में 8.8 प्रतिशत कर्मियों का नियोजन रहा। NIC कोड 36, 38, 58, 74, 82 व 96 में कर्मियों के नियोजन का प्रतिशत नगण्य पाया गया।
9. राज्य में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक परिलब्धि 202.02 हजार रूपये पाया गया जो कोक एवं पेट्रोलियम एवं शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) हेतु सर्वाधिक 660.6 हजार रूपये उसके उपरांत कम्प्यूटर इलक्ट्रानिक्स एवं आप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण (NIC-26) हेतु 577.07 हजार रूपये पाया गया ।
10 प्रदेश के उद्योगों में कुल ईधन उपभोग की दृष्टि से मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में सर्वाधिक 43918376 हजार रूपये तथा अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में न्यूनतम् 2291 हजार रूपये कुल ईंधन का उपभोग किया गया। कोयले का सर्वाधिक उपभोग, मूल धातुओं का

विनिर्माण (NIC-24) में 4540299 हजार रूपये एवं न्यूनतम् उपभोग कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स एवं आप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण (NIC-26) में 368 हजार रूपये का किया गया। विद्युत का सर्वाधिक उपभोग मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 32112475 हजार रूपये तथा न्यूनतम अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 1851 हजार रूपये का उपभोग किया गया। पेट्रोलियम पदार्थो का सर्वाधिक उपभोग खाद्य पदार्थो का विनिर्माण (NIC-10) में 6422927 हजार रूपये तथा न्यूनतम पानी का संग्रहण,शुद्वीकरण तथा आपूर्ति (NIC-36) में 177 हजार रूपये का उपभोग किया गया। गैस का सर्वाधिक उपभोग कोक एवं पेट्रोलियम एवं शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) में 17609584 हजार रूपये तथा न्यूनतम मशीनरी तथा उपस्कर का स्थापन एवं मरम्मत (NIC-33) में 58 हजार रूपये का उपभोग किया गया। इसी प्रकार अन्य ईंधन का सर्वाधिक उपभोग रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) में 8582906 हजार रूपये तथा न्यूनतम् कोक एवं पेट्रोलियम शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) में 505 हजार रूपये का उपभोग किया गया।

11. प्रदेश में कुल 90078165 हजार रूपये के मूल्य ह्रास में सबसे अधिक खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में 15104376 हजार रूपये तथा सबसे कम न्यूनतम पानी का संग्रहण, शुद्वीकरण तथा आपूर्ति (NIC-36) में 655 हजार रूपये मूल्य ह्रास पाया गया।

12. प्रदेश में 1733061889 हजार रूपये पूँजी का विनियोजन किया गया जिसमें खाद्य उत्पादों के विनिर्माण(NIC-10) में सर्वाधिक 445839836 हजार रूपये तथा न्यूनतम् अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 11029 हजार रूपये का पूँजी विनियोजन रहा।

महत्वपूर्ण मानक मदों का गत वर्ष के सापेक्ष तुलनात्मक विवरण

(मूल्य हजार रूपये में)

क्र. सं.	मद का नाम	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14	प्रतिशत वृद्धि / कमी
1	विनियोजित पूँजी	1735558295	1733061889	-0.1
2	उपभुक्त सामग्री	2643816132	2824380163	6.8
3	कुल आगत	3253264825	3502292485	7.7
4	कुल निर्गत	3839136753	4168756621	8.6
5	उत्पादन का मूल्य	3076394267	3368223900	9.5
6	सकल आवर्धित मूल्य [GVA]	585871928	666464136	13.8
7	मूल्य ह्रास	82549643	90078165	9.1
8	शुद्ध आवर्धित मूल्य [NVA]	503322285	576385971	14.5
9	कर्मी(पर्यवेक्षकीय स्टॉफ को छोड़कर)(संख्या में)	651228	721374	10.8
10	कुल कर्मी (संख्या में)	843473	924750	9.6
11	परिलब्धि कर्मी (पर्यवेक्षकीय स्टॉफ को छोड़कर)	60245255	73745230	22.4
12	कुल परिलब्धियॉ कर्मी	158536907	186818270	17.8
13	अनुमानित कारखानें (संख्या में)	12056	12612	4.6

*****

अध्याय –7
आवास सांख्यिकी

7.0 पृष्ठभूमि

आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसारण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन.बी. ओ.),शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रुप में नामित किया गया है। आवास साँख्यिकी संग्रहण की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969) में लागू हुई। योजनान्तर्गत आवास सांख्यिकी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा एकत्र करायी जाती थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा वर्ष 2007–08 से एक नई केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना "Urban Statistics for HR and Assessments (U.S.H.A)" प्रारम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य आवास निर्माण, नगरीय गरीबी, झोपड़पट्टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस, सूचना तन्त्र का प्रबन्धन एवं अन्य जानकारियाँ तैयार करना है। जिसकी पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा वांछित आँकड़ें एकत्रित करा कर उपलब्ध कराये जा रहे है जिनका विवरण निम्नवत् है–

- **नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1:–**

वर्ष 2013–14 से अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के स्थान पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1 के आंकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 35 नगर चयनित किये गये हैं जिनके आंकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **जारी किये गये भवनो के अनुमति प्रमाण का एवं पूर्णता प्रमाण पत्र**

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 55 जनपदों के 63 नगर चयनित है। नये आवासीय भवन इकाईयों के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के आंकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **Housing Start-up index(HSUI)–**

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊषा स्कीम के अन्तर्गत HSUI योजना दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में प्रदेश के 34 जनपदों के 35 टाउन चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दरें, बाजार दरें एवं किराया दरों के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से त्रुटियों का निराकरण कराकर जनपदों द्वारा सीधे राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को आनॅलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

- **भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव:–**

प्रभाग के सभी जिलों से 30 सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमासान्त के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर बाजार भाव राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर एकत्रित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों के 14 मदों के 76 उपमदों

के फुटकर भाव प्रत्येक त्रैमासान्त में एकत्र किये जाते हैं। 14 मदों में ईटें, रेत, पत्थर की रोड़ी, चूना, इमारती लकड़ी, सीमेन्ट, इस्पात, फर्श के लिए पत्थर की स्लैप, ऐस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, टाइलें, रोगन व वार्निश, चादर काँच, सफाई पात्र एवं इलेक्ट्रिक फीटिंग सम्मिलित है। भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन इन्ट्री किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरेंः–**

यह कार्य सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग से कुशल मजदूरों यथा राज (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), बढ़ई (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) तथा अकुशल मजदूर (पुरूष एवं स्त्री) को देय मजदूरी की दरों के आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते थे। माह जून, 2013 से भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें लोक निर्माण विभाग से संग्रहीत न कराकर सीधे जिले(नगर) के खुले बाजार से आंकड़ों का एकत्रीकरण कर ऑनलाइन इन्ट्री किया जाता है। तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **भवन निर्माण लागत सूचकांकः–**

भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 1983 से (1980–81 के आधार वर्ष पर) प्रदेश के 7 जनपदों (कानपुर, बरेली, झॉसी, गोरखपुर, इलाहाबाद, मेरठ तथा वाराणसी) के लिये चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु तैयार किया जाता था। वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आधार वर्ष 1999–2000 पर निम्न आय वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1(एल.आई.जी.) के लिए सभी जनपदों में लागत सूचकांक तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 (एल0आई0जी0) के भवन निर्माण लागत सूचकांक आधार वर्ष 1999–2000 के स्थान पर वर्ष 2004–05 किया गया है। त्रैमासान्त जून, 2013 से पूर्व की भांति लागत(कास्ट) आवास विकास परिषद/पी0डब्ल्यू0डी0/अन्य कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर भवन निर्माण लागत सूचकांक को त्रैमासिक के स्थान पर वार्षिक ब्रिक्स साफ्टवेयर पर ऑनलाइन इन्ट्री किया जाता है तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

- **जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचनाः–**

जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना का एकत्रीकरण वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया गया है। इसमें प्रदेश के चयनित 35 नगरों के आंकड़ें Munucipal commissioners /District Collectors/City Development Authorities से प्राप्त करने के उपरान्त urban local bodies के Deputy Commissioner के स्तर से सत्यापित कराकर आंकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह करा कर ब्रिक्स साफ्टवेयर के माड़यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को ऑनलाइन अनुमोदित किया जाता है।

7.1 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- 75 जनपदों के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव त्रैमासान्त मार्च 2017, जून 2017, सितम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।

• 75 जनपदों के भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें त्रैमासान्त मार्च 2017, जून 2017, सितम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।

• 75 जनपदों के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 के भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2016–17 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।

• नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड़यूल पार्ट–1 के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के ऑकड़े त्रैमासान्त मार्च 2017, जून 2017, सितम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।

• जारी किये गये भवन के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट चयनित 55 जनपदों के 63 नगरों के आंकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2017, जून 2017, सितम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।

• एच0एस0यू0आई0 योजना के अन्तर्गत चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दर, बाजार दर एवं किराया दर के आंकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2017, जून 2017, सितम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।

• जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवनों के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के वार्षिक आंकड़े वर्ष 2016–17 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को उपलब्ध कराया गया।

भवन निर्माण सम्बन्धी भाव, दर तथा भवन निर्माण लागत सूचकांक वार्षिक पत्रिका वर्ष 2016–17 का प्रकाशन किया गया।

7.1.1 भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक वर्ष 2016–17 की प्रकाशित रिर्पोट के मुख्य निष्कर्ष–

(i) आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव

• ईटें श्रेणी (क) का औसत भाव रू0 6093 तथा रेत निम्न रू0 1917, रेत अव्वल रू0 1427, पत्थर की रोड़ी (15 मि.मी. गेज और कम) रू0 2137, इमारती लकड़ी (क) सी.पी. सागौन रू0 85372, (ख) साल की लकड़ी रू0 64117 प्रति घन मीटर रहा एवं चूना अनबुझा का औसत भाव रू0 887 प्रति कुन्तल पाया गया।

• सीमेन्ट साधारण सफेद(क) उच्च शक्तिवाली का औसत भाव रू0 6746 (ख) कम शक्तिवाली रू0 5941, इस्पात (साधारण इस्पात की गोल छड़ें) (क) 10 मि.मी. व्यास रू0 39734 (ख) 12 मि.मी. व्यास रू0 39881, इस्पात (साधारण इस्पात की चपटी छड़ें) 30×12 मि.मी रू0 40586, इस्पात (एंगल आइरन) (क) 25×25×5 मि.मी. रू0 40367,(ख) 45×45×6 मि.मी.रू0 39608 साधारण इस्पात के चैनल (150×75 मि.मी.) रू0 42800 प्रति मी0 टन रहा।

• लकड़ी इस्पात कार्य के लिए विशेष पेंट का औसत भाव रू0 254 प्रति लीटर पाया गया।

• चादर कॉच के औसत भाव रू0 469 प्रति वर्ग मी. पाया गया ।

• सफाई पात्र एस. डब्ल्यू पाइप (150 मि. मी. व्यास) का औसत भाव रू0 152 प्रति अदद पाया गया ।

(ii) विभिन्न प्रकार की दैनिक मजदूरी की दरें

प्रदेश स्तर की राज प्रथम श्रेणी की औसत मजूदरी रू0 460, राज द्वितीय श्रेणी रू0 408, बढ़ई प्रथम श्रेणी रू0 433, बढ़ई द्वितीय श्रेणी रू0 367, अकुशल मजदूर (पुरूष) रू0 273, अकुशल मजदूर (स्त्री) रू0 252 प्रति दिन पाया गया ।

(iii) लागत सूचकांक

वर्ष 2016–17 में भवन निर्माण लागत सूचकांक सबसे अधिक 455.49 जनपद झांसी तथा सबसे कम सूचकांक 100.00 जनपद मुजफ्फर नगर का पाया गया।

******

अध्याय–8
संगणक अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षण कार्यो के माध्यम से एकत्रित कराये जा रहे ऑकडों की डेटा इन्ट्री के लिए साफ्टवेयर विकास एवं उनके क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण तथा आंकडों के डेटा प्रोसेसिंग व_राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के ऑकडों की पूलिंग संबंधी कार्य, प्रभागीय वेबसाइट का प्रबन्धन, GIS इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना संबंधी कार्य, SWAN कनेक्टीविटी सम्बन्धी कार्य हेतु संगणक अनुभाग का गठन किया गया । वर्तमान में उक्त कार्यो के अतिरिक्त प्रभाग के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर तैनात कार्मिकों की कम्प्यूटर दक्षता व कुशलता में अभिवृद्धि हेतु अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

8.0 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

8.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण

1– प्रदेश के जनपदीय कार्यालयों के प्रयोगार्थ भारत सरकार, डी0पी0डी0 कार्यालय कोलकाता से प्राप्त रा0प्र0स0 74वीं आवृत्ति सम्बन्धी data entry software का क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य किया गया।

2– रा0प्र0स0 74वीं आवृत्ति सम्बन्धी Phase-1,2&3 data validation software का क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य किया गया।

3–रा0प्र0स0 72वीं आवृत्ति के अनु0 21.1 का सारणीयन सम्बन्धी कार्य किया गया।

4–रा0प्र0स0 71वीं आवृत्ति के अनु0 25.0 व 25.2 की पूलिंग सम्बन्धी कार्य किया गया।

5–रा0प्र0स0 75वीं आवृत्ति सम्बन्धी data entry software का क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य किया गया।

8.2 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

1– वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2013–14 में उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित केन्द्र एवं प्रभाग द्वारा एकत्रित आँकड़ों पर आधारित वांछित सारणीयन का कार्य किया गया।

2– वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2014–15 में उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित केन्द्र एवं प्रभाग द्वारा एकत्रित आँकड़ों पर आधारित वांछित सारणीयन का कार्य किया गया।

8.3 स्थानीय निकाय सर्वेक्षण

1–राज्य आय अनुभाग के प्रयोगार्थ, स्थानीय निकाय के आय–व्यय का लेखा तैयार करने सम्बंधी वर्ष 2015–16 हेतु डेटा इन्ट्री साफ्टवेयर का विकास कार्य किया गया।

2– स्थानीय निकायों के वार्षिक प्रकाशन सम्बन्धी तालिकाओं एवं खण्डवार ग्रैण्ड–शीट का प्रावधान करते हुए रिपोर्टिंग मॉड्यूल का विकास कार्य किया गया।

3– स्थानीय निकायो का आय–व्यय का लेखा तैयार करने सम्बन्धी वर्ष 2016–17 हेतु डेटा इन्ट्री एवं वैलीडेशन साफ्टवेयर का विकास कार्य पूर्ण किया गया।

8.4 सामुदायिक विकास कार्यों से सम्बन्धित

1– सामुदायिक विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन (CD MPR) से सम्बन्धी रिपोर्टिंग साफ्टवेयर का विकास कार्य पूर्ण किया गया।

8.5 Online Module का विकास

1–सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थेनिंग (एस0एस0एस0) योजना के अन्तर्गत ''डेवलेपमेण्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर ऑफलाइन एण्ड ऑनलाइन डाटा इन्ट्री'' विषयक परियोजना में कार्यदायी संस्था यूपीडेस्को से आई0आई0पी0 तथा वा0उ0स0 माड्यूल को प्रभाग स्तर से प्राप्त सुझावों के अनुसार विकसित करा कर यू0ए0टी0 (यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट) कराते हुए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण मॉड्यूल में प्रत्येक मण्डलीय कार्यालयों से एक अपर सांख्यिकीय अधिकारी को वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 की ऑनलाइन डाटा इन्ट्री किये जाने हेतु प्रशिक्षण, मैन्यूअल आदि तैयार कराकर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 24.10.2017 को एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मॉड्यूल में प्रत्येक मण्डलीय कार्यालयों एवं चार जनपदीय कार्यालयों क्रमशः फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर एवं कानपुर नगर से एक.एक अपर सांख्यिकीय अधिकारी को औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की ऑनलाइन डाटा इन्ट्री किये जाने हेतु प्रशिक्षण, मैन्यूअल आदि तैयार कराकर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 24.01.2018 को प्रभाग मुख्यालय स्थित कम्प्यूटर लैब में प्रदान कराया गया।

2–एस.एस.एस. योजना के अन्तर्गत "Development of Software for offline and online Data Entry" के अन्तर्गत भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल को विकसित कराकर सम्बन्धित अनुभाग से प्राप्त परीक्षण आख्या में प्राप्त विसंगतियों का संशोधन कराने हेतु कार्यदायी संस्था से समन्वय किया गया।

3– विकसित वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण मॉड्यूल में मण्डलीय कार्यालयों से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 व औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मॉड्यूल की ऑनलाइन डाटा इन्ट्री किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों से आ रहीं समस्याओं का निराकरण कराया गया।

8.6 SWAN कनेक्टीविटी सम्बन्धी कार्य

1–13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य जिला सॉख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग के जनपदीय कार्यालयो को जनपद स्तरीय स्वान केन्द्र से तथा प्रभाग मुख्यालय को राज्य स्तरीय स्वान केन्द्र से नेटवर्किंग का कार्य बी0एस0एन0एल0 द्वारा नामित संस्था Tel Excel के माध्यम से कराया जाता है । 2017–18 में स्वान कनेक्टीविटी के संचालन में आयी समस्याओं को कार्यदायी सस्था से समन्वय स्थापित करते हुए निराकरण कराया गया ।

स्वान कनेक्टिविटी से संबंधित समस्त जनपदीय कार्यालयों को कनेक्टिविटी के सुचारुरूप से संचालन हेतु प्रभाग मुख्यालय पर दिनांक 25, 26 व 29 मई, 2017 को एक अर्द्वदिवसीय प्रशिक्षण पाँच बैचों में प्रदान किया गया। इसके साथ ही जनपदों में स्वान कनेक्टिविटी से संबंधित तकनीकी समस्याओं का निस्तारण कराया गया।

8.7 प्रभाग की वेबसाइट का प्रबन्धन

1–प्रभाग की वेबसाइट जिसका URL 'http://updes.up.nic.in' पर प्रदर्शित सूचनाओं के अपडेशन हेतु रा0सू0वि0 केन्द्र से user id एवं password प्राप्त कर प्रभाग स्तर पर अपलोड कार्य किया जाता है।साथ ही प्रभाग की वेबसाइट को समय–समय पर यथा आवश्यकतानुसार user friendly एवं व्यवहारिक बनाये जाने हेतु भी कार्य किया गया। प्रभाग से सम्बन्धित अनुभागों से प्राप्त साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक व अन्य प्रकार की सूचनाओं एवं प्रभाग में विकसित किए गये साफ्ट्वेयर व अन्य तत्सम्बन्धी सूचनाओं के साथ, प्राप्त निविदा व प्रेस रिलीज सम्बन्धी सूचनाओं को अनुभाग द्वारा अपलोड किया गया।

वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली सूचनाओं से संबंधित, एक अर्द्धदिवसीय प्रशिक्षण, वेबसाइट पर सूचनाओं के प्रबन्धन के सम्बन्ध में एक प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 12 मई, 2017 को दो बैचों में प्रभाग मुख्यालय तृतीय तल स्थित सभागार में, प्रभाग मुख्यालय पर कार्यरत कार्मिकों हेतु किया गया।

8.8 जी0आई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना सम्बन्धी कार्य

जी0आई0एस0 इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजना में कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किए गए कार्यो का नियमित अनुश्रवण किया गया एवं ई0 मानचित्र पोर्टल को नए इन्टरफेस एवं नई विशेषताओं के साथ विकसित कराया गया।

उक्त के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ समन्वय करते हुए कार्यो को सम्पादित कराया गया।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग की जी0आई0एस0 इन्फ्रास्ट्क्चर विकास योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित ई–मानचित्र जियो पोर्टल का प्रस्तुतिकरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा प्रभाग के अधिकारियों के समक्ष दिनांक 05 मई, 2017 को तृतीय तल स्थित सभागार में किया गया।

8.9 समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) सम्बन्धी कार्य

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर, निस्तारित सूचनाओं को अपलोड करने सम्बन्धी कार्य किया जा रहा हैं।

8.10 ई–ऑफिस प्रणाली सम्बन्धी कार्य

जनपदीय/मण्डलीय/ प्रभाग कार्यालयों में प्रदेश सरकार के ई–ऑफिस प्रणाली पर कार्य करने वाले कार्मिकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभाग मुख्यालय एवं उसके समस्त जनपदीय कार्यालयों से समन्वय सम्बन्धी कार्य किया गया।

****

अध्याय–9
ग्राफ अनुभाग

प्रभाग में स्थापित ग्राफ अनुभाग द्वारा मुख्यालय से प्रकाषित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकाषनों व प्रतिवेदनों में प्रयुक्त होने वाले आवरण पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ व आरेख को मुख्यालय स्तर पर कार्यरत कलाकार व वरिष्ठ कलाकार द्वारा तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आँकड़ों एवं प्रतिवेदनों को एक दृष्टि में अवलोकन हेतु ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र तैयार किये जाते हैं।

9.0 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

1–उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2016–17 के ग्राफ, आरेख ,मानचित्र एवं कवर पृष्ठ तैयार किये गये।

2–अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016–17 का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार किया गया।

3–वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, वर्ष 2013–14 की रिपोर्ट से सम्बन्धित उत्तर प्रदेष में 75 जनपदों में पंजीकृत कारखानों की संख्या का मानचित्र तैयार किया गया।

4–रा0प्र0स0 69वीं आवृत्ति अनुसूची 1.2 पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेष में पेयजल,, स्वास्थ्य परिचर्या एवं आवासीय स्थिति" (जुलाई–दिसम्बर 2012) का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार किया गया।

5–उत्तर प्रदेष के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण, वर्ष 2017–18 के ग्राफ, आरेख एवं कवर पृष्ठ तैयार किये गये।

6–राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश, वर्ष 2011–12 से 2016–17 के ग्राफ, आरेख एवं कवर पृष्ठ तैयार किये गये।

7–वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, वर्ष 2014–15 की रिपोर्ट से सम्बन्धित उ0प्र0 में 75 जनपदों में पंजीकृत कारखानों की संख्या का मानचित्र तैयार किया गया।

8–राष्ट्रीय साँख्यिकीय आयोग की बैठक से सम्बन्धित अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आकड़ें (एक परिचय) से सम्बन्धित रिपोर्ट को Power Point पर प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया।

9–सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, वर्ष–2017 (हिन्दी संस्करण) में रंगीन कवर पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ, आरेख तथा वर्ष–2018 का कैलेण्डर तैयार किया गया।

10–सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, वर्ष 2017 (अंग्रेजी संस्करण) में रंगीन कवर पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ, आरेख तथा वर्ष–2018 का कैलेण्डर तैयार किया गया।

11–उत्तर प्रदेश एक झलक (आंकड़ों में) वर्ष–2017 (हिन्दी संस्करण) का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार किया गया।

12–उत्तर प्रदेश एक झलक (आंकड़ों में) 2017 (अंग्रेजी संस्करण) का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार किया गया।

13–रा0प्र0स0 70वीं आवत्ति अनुसूची 18.2 पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेश में ऋण एवं निवेश" का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार किया गया।

14–रा0प्र0स0 70वीं आवत्ति अनुसूची 18.1 पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेश में भूमि एवं पशुधन जोत (केवल ग्रामीण क्षेत्र)" का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार किया गया।

15–जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश वर्ष–2017 के ग्राफ, आरेख, मानचित्र एवं कवर पृष्ठ द्विभाषी तैयार किये गये।

16–अर्न्तराज्यीय तुलनात्मक आँकडे, वर्ष–2016 का रंगीन कवर पृष्ठ व ग्राफ, आरेख तथा मानचित्र तैयार किये गये।

17–न्यूज लेटर (जुलाई 2017–सितम्बर 2017) को Coral Draw Software पर तैयार किया गया।

18–सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश, वर्ष–2017 के ग्राफ, आरेख, आवरण पृष्ठ तथा मानचित्र तैयार किये गये।

19–उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूंजी व्यय,स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आंकड़ें वर्ष 2015–16 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

20–भवन निर्माण संम्बधी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक, वर्ष 2016–17 का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

21–डेटा अनुभाग की वार्षिक कार्य योजना (Annual Plan) सें संबंधित रिपोर्ट को Excel Sheet पर तैयार किया गया।

22–अन्तर्जनपदीय आँकड़ें वर्ष–2016 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

23–राष्ट्रीय प्रतिदर्ष सर्वेक्षण 69वीं आवृत्ति के केन्द्रीय व राज्य प्रतिदर्श के ऑकड़ों की पूलिंग पर आधारित रिपोर्ट "A Report on drinking Water, Sanitation, Hygiene & Housing Condition in Uttar Pradesh" का रंगीन कवर पृष्ठ तैयार किया गया।

24–मण्डलीय व जनपदीय नियोजन एटलस, वर्ष–2017–आजमगढ़ मण्डल व देवीपाटन मण्डल तथा जनपद–बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, गोण्डा, श्रावस्ती व बहराइच की नियोजन एटलस, वर्ष–2017 के मानचित्रों व तालिकाओं को तैयार कर सम्बन्धित जनपदों को प्रकाशनार्थ उपलब्ध कराया गया।

25–सांख्यिकीय दिवस से सम्बन्धित बैनर (6 फीट X 4 फीट) तैयार किया गया।

26–रा0प्र0स0 75 वीं आवृत्ति के प्रशिक्षकों का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण से सम्बन्धित बैनर (8 फीट X 4 फीट) तैयार किया गया।

27–राष्ट्रीय साँख्यिकीय आयोग की समीक्षा बैठक हेतु दो रंगीन बैनर (6'x4') व (3'x6') तैयार किये गये।

28–Regional Workshop State Programme Support For Statistical Strengthening Scheme (एस0एस0एस0) के दो बैनर तैयार किये गये।

29–आई0एस0एस0 प्रशिक्षु अधिकारी प्रशिक्षण से सम्बन्धित 6 प्रमाण पत्र तैयार किये गये।

30–Ministry of Statistics & Programme से सम्बन्धित नेम प्लेट व स्टीकर बनाने का कार्य किया गया।

31–शासन स्तर व प्रभाग स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों व ट्रेनिंग कार्यक्रमों में फोटोग्राफी का कार्य भी सम्पादित किया गया।

32–प्रभाग मुख्यालय तथा जनपदीय व मण्डलीय कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों के 54 परिचय–पत्र तैयार किये गये।

33–प्रभाग मुख्यालय पर आयोजित होने वाली विभिन्न स्तर की बैठकों में लगने वाली नेम प्लेट बनाने का कार्य भी किया गया।

9.1 क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्पादित कार्य–

जनपद व मण्डल स्तर पर होने वाले प्रकाशन जैसे–सांख्यिकीय पत्रिका, सामाजार्थिक समीक्षा, विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका व सामाजार्थिक समीक्षा में आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण को आकर्षक एवं सुस्पष्ट बनाने हेतु लगाये जाने वाले रंगीन ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र तैयार किये जाते है।

जनपद व मण्डल स्तर पर प्रत्येक वर्ष नियोजन एटलस जी.आई.एस. साफ्टवेयर पर तैयार कर प्रकाशित किया जाता है। नियोजन एटलस को 2 भागों में तैयार किया जाता है। प्रथम भाग में मण्डल के 30 संकेतको के आधार पर 30 तालिकायें व मानचित्र तथा द्वितीय भाग में विकास खण्ड के 69 संकेतकों के आधार पर 69 तालिकायें व मानचित्र को प्रदर्शित किया जाता है।

ग्राफ अनुभाग द्वारा प्रत्येक जनपद व मण्डल की नियोजन एटलस के प्रकाशन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन व दिशा–निर्देश तथा उनके परिनिरीक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है। वर्ष–2017 की समस्त मण्डलों व जनपदों की नियोजन एटलस के प्रकाशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

******

अध्याय–10
प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग

10.1 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशन

प्रभाग मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा नियमित रूप से निम्नांकित प्रकाशनों की पाण्डुलिपियां प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग को मुद्रण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

क्र0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1	सॉख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (हिन्दी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
2	उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में)	डेटा बैंक	वार्षिक	1991
3.	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1994–95
4.	राज्य आय अनुमान, उ0प्र0	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1950–51
5.	उ0प्र0 का आय–व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1965–66
6.	राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0 का कार्य विवरण	क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के समन्वय से राज्य नियोजन सस्थान के सभी प्रभाग	वार्षिक	
7.	सांख्यिकीय सारांश उ0प्र0	डेटा बैंक	वार्षिक	1961
8.	जिलेवार विकास संकेतक	डेटा बैंक	वार्षिक	1978
9.	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े	डेटा बैंक	वार्षिक	1976
10	अन्तर्जनपदीय ऑकड़े	डेटा बेंक	वार्षिक	1976
11.	सॉख्यिकीय डायरी उ0प्र0 (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	1968
12.	उत्तर प्रदेश एक झलक (ऑकड़ों में) (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक	वार्षिक	2009

10.2 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशनों की सूची

1. सॉख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (हिन्दी संस्करण)
2. सॉख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (अंग्रेजी संस्करण)
3. उत्तर प्रदेश एक झलक (हिन्दी संस्करण) (ऑकड़ों में)
4. उत्तर प्रदेश एक झलक (अंग्रेजी संस्करण)(ऑकड़ों में)
5. उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा
6. उ0प्र0 का आय–व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण
7. राज्य आय अनुभाग, उ0प्र0
8. राज्य नियोजन संस्थान,उ0प्र0 का कार्य विवरण
9. सॉख्यिकीय सारांश, उ0प्र0
10. अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े
11. त्रैमासिक न्यूज लेटर
12. आर्थिक गणना (प्रत्येक 5 वर्ष में)
13. वार्षिक प्रतिवेदन
14. जिलेवार विकास संकेतक
15. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
16. भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक
17. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय,व्यय,पूँजी,स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी ऑकड़े
18. अन्तर्जनपदीय ऑकड़े

10.3 वर्ष 2017–18 के प्रकाशनों की सूची

1	सांख्यिकीय डायरी उ0प्र0(हिन्दी) 2017	वार्षिक
2	उ0प्र0 एक झलक (ऑकड़ों में) 2017	वार्षिक
3	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा 2016–2017	वार्षिक
4	राज्य आय अनुमान उ0प्र0 2011–12 से 2016–17	वार्षिक
5	उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 2017–18	वार्षिक
6	राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य विवरण 2017–18	वार्षिक
7	सॉख्यिकीय सारांश 2015	वार्षिक
8	जिलेवार विकास संकेतक 2016	वार्षिक
9	अन्तर्राज्जीय तुलनात्मक ऑकड़े 2014	वार्षिक
10	सांख्यिकीय डायरी उ0प्र0(अंग्रेजी) 2016	वार्षिक
11	UP AT A GLANCE (in figure) 2016	वार्षिक
12	त्रैमासिक न्यूज लेटर अक्टूबर–दिसम्बर 2016	त्रैमासिक
13	भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक बस्तुओं के फुटकर भाव मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक 2012–13	वार्षिक
14	अर्न्तजनपदीय ऑकड़े 2015	वार्षिक

10..3.1 त्रैमासान्त प्रकाशन

त्रैमासिक न्यूज लेटर

******

अध्याय–11
समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष अनुभाग की स्थापना अनुसंधान अनुभाग के नाम से की गयी थी। इस अनुभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यो को देखते हुये इसे अनुसंधान अनुभाग से परिवर्तित कर समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग किया गया। 13 अगस्त, 2007 को समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग से ही सम्बद्ध एक रिसर्च सेल की स्थापना की गयी जिसके द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों पर पेपर/प्रस्तुतीकरण तैयार किये गये। दिनांकः 06.10.2008 को इस अनुभाग का नाम पुनः संशोधित करते हुये समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग रख दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त इस रिसर्च सेल को दिनांक 12.08.2009 को समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग में विलीन कर दिया गया।

11.1 मुख्य उद्देश्य

इस अनुभाग का मुख्य उद्देश्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ प्रभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रस्तुतिकरण तथा शोध सम्बंधी कार्य करना एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाना है।

11.2 सम्पादित कार्यों का विवरण

- समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग द्वारा भारत सरकार, उ0 प्र0 शासन, प्रदेश के अन्य विभागों, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मण्डलों एवं जनपदीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भारत सरकार एवं शासन को सूचना को उपलब्ध कराना।
- मण्डल एवं जनपदों के समग्र कार्यो की सूचना प्राप्त कर मण्डलीय उपनिदेशकों एवं जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों की जनपद एवं मण्डल के कार्यो की समीक्षा कराना।
- मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यालय निरीक्षण की समीक्षा कराना।
- शासन की मांग के अनुसार प्रभाग की कार्य योजना (टास्क सेटिंग) तथा माहवार प्रगति रिपोर्ट, प्रभाग द्वारा किये जा रहे प्रत्येक माह महत्वपूर्ण कार्य की रिपोर्ट तथा अधिष्ठान एवं लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर उपलब्ध कराना।
- समय–समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/ सेमिनार कार्यक्रम में प्रभाग, मण्डल एवं जनपद स्तर के कार्मिकों को नामित कराना।
- विभागीय तकनीकी एवं सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन व अन्य सम्बन्धित कार्य।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहें केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन (**COCSSO**) में राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जा रही संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या प्रदेश के अन्य विभागों व प्रभागों के अन्य अनुभागों से प्राप्त कर संकलित रूप में भारत सरकार को भिजवाने के कार्य को भी सम्पादित किया जाता है।

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किये जाने वाले केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलनों(**COCSSO**) हेतु प्रस्तुतीकरण तैयार किया जाता है।
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित कार्य।
- प्रभाग का त्रैमासिक **News Letter ESR, UP.** का प्रकाशन प्रभाग द्वारा दिसम्बर 2008 से किया जा रहा है। इस News Letter का उद्देश्य प्रभाग के समस्त कार्य कलापों, अधुनान्त सूचकांक व प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य अंश तथा अन्य सांख्यिकीय कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है।
- भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 29 जून को सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। सांख्यिकी दिवस हेतु विषय का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से सम्बन्धित आख्या (फोटो सहित) प्रकाशन हेतु **CSO** भारत सरकार को उपलब्ध करायी जाती है।

11.3 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

- शासन /भारत सरकार से प्राप्त विविध प्रकरणों से संबधित कार्य भी किये जाते हैं।
- प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह किये गये महत्वपूर्ण कार्यो की प्रगति शासन को उपलब्ध करायी गयी।
- स्व० प्रो0पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर 11वां सांख्यिकी दिवस दिनांक 29–06–2017 का आयोजन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का विषय **"Administrative Statistics"** निर्धारित किया गया।
- राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के 45 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों द्वारा भेजे गये 08 अंतःप्रशिक्षुओं को प्रभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन अंतःप्रशिक्षुता करायी गयी।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 98वीं बैठक योजना भवन, लखनऊ में आयोजित करायी गयी। बैठक में भारत सरकार के अधिकारियों के साथ–साथ अपर मुख्य सचिव, नियोजन/सचिव, नियोजन तथा विशेष सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रदेश के नोडल अधिकारियों–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उ0प्र0 तथा वाणिज्य कर इत्यादि के प्रतिभागियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

*****

अध्याय–12
स्थापना अनुभाग

वर्ष 1931 में प्रभाग के अस्तित्व में आते ही स्थापना अनुभाग की स्थापना की गयी तत्समय से ही निम्न प्रकार के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा हैः–

- प्रशासनिक व्यवस्था–मण्डल/जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- नियुक्ति –शासन द्वारा प्रभाग में सृजित पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- पदोन्नति –संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति के पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- स्थायीकरण–प्रभाग में नियुक्ति कार्मिकों का नियमानुसार स्थाईकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ज्येष्ठता–प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों का नियमानुसार ज्येष्ठता की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन–शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्मिकों को लाभ दिये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- सेवा सम्बन्धी अन्य प्रकरण।
- शासन द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।
- स्थापना सम्बन्धी सूचनाओं का प्रेषण।

12.1 वर्ष 2017–18 में सम्पादित कार्य

नियुक्ति :–

- कनिष्ठ सहायक के पद पर 07 मृतक आश्रितों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
- चपरासी के पद पर 01 मृतक आश्रित के नियुक्ति आदेश जारी किया गया।

पदोन्नति :–

- 01 अपर निदेशक को निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 01 संयुक्त निदेशक को अपर निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 03 उप निदेशकों को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 203 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को अपर सांख्यिकीय अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 05 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 04 चपरासियों को चालक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 01 चपरासी को साइक्लोस्टाइल के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 01 चपरासी को दफ्तरी के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 01 चपरासी को जमादार के पद पर पदोन्नत किया गया।

समयमान वेतनमान /वित्तीय स्तरोन्नयन

- 01 अर्थ एवं संख्याधिकारी, 09 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों, 04 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।
- 06 अर्थ एवं संख्याधिकारियो, 20 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों, 04 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 17 वरिष्ठ सहायकों एवं 01 चालक को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।

- 01 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 07 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों, 05 वरिष्ठ कलाकार, 06 चालक, 09 चर्तुथ श्रेणी कर्मचारियो को 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया।

स्थानान्तरण :–

72 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 29 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, 02 वरिष्ठ कलाकार 03 आशुलिपिक, 19 वरिष्ठ सहायक, 15 कनिष्ठ सहायक, 08 चालक एवं 26 चपरासियों के स्थानान्तरण किये गये।

सेवा निवृत्तिः–वर्ष में 11 अर्थ एवं संख्याधिकारी, 32 अपर सॉख्यिकीय अधिकारी, 08 सहायक सॉख्यिकीय अधिकारी, 06 मुख्य कलाकार, 01 आशुलिपिक, 01 प्रधान सहायक, 01 वरिष्ठ सहायक, 06 चालक एवं 01 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कुल 67 कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए।

*****

अध्याय–13
लेखा अनुभाग

प्रभाग के लेखा अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य के सम्पादन हेतु मुख्यालय पर दो अनुभाग हैं।

- लेखा अनुभाग–1
- लेखा अनुभाग–2

13.1 लेखा अनुभाग–1 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- सभी अधिकारियों/कर्मचारियो के वार्षिक सेवा सत्यापन एवं अवकाश लेखे का रख–रखाव।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति देयकों के निस्तारण।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति एवं सेवा सत्यापन सम्बन्धी कार्य।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव।
- क्षेत्रीय कार्यालयों का आन्तरिक लेखा परीक्षण एवं प्राप्त परिपालन आख्याओं का परीक्षण कार्य।
- क्षेत्र/मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन भत्ता की स्वीकृति।
- वाहनों के निष्प्रयोज्य सम्बन्धी कार्य।
- निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा विभाग से वार्षिक कार्ययोजना के अनुमोदनोपरान्त जनपदों का लेखा परीक्षण कार्य सम्पादित कर त्रैमासिक व वार्षिक लेखा परीक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट को उपलब्ध कराना।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्र के कार्यालयाध्यक्षों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय/मण्डलों/जनपदों के समस्त प्रकार के कालातीत देयकों को कालातीत से मुक्त करने सम्बन्धी कार्यवाही।
- विभिन्न प्रभागीय योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को आय–व्ययक उपलब्ध कराना।
- एस0एन0डी0 के माध्यम से नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना।
- अतिरिक्त आपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग/अनुपूरक मांग के प्रस्ताव उपलब्ध कराना।
- प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को बजट आवंटन सम्बन्धी कार्य।
- प्रभाग मुख्यालय का बी.एम.–8 तैयार करना एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बी.एम.–8 संकलित कर कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उ.प्र., इलाहाबाद को प्रत्येक माह भेजना।
- वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकर कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से प्रभागीय व्यय के आंकड़ों का लेखा मिलान कार्य सम्पादित करना।
- निष्प्रयोज्य वाहन के पुर्नस्थापन की कार्यवाही।
- प्रभाग में प्रचलित परियोनाओं के अन्तर्गत हुए अन्तिम व्यय/बचत की सूचना ससमय शासन को उपलब्ध कराना।

- भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रस्तरों का निस्तारण करना।
- विनियोग लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराना।

13.2 लेखा अनुभाग–2 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- वेतन का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग मुख्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि पासबुकों को अद्युनान्त कर रख–रखाव।
- समय–समय पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत स्वीकृति/भुगतान की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना यथा महालेखाकार से मिलान/जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी की संस्तुतियां प्राप्त किया जाना।
- समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों की किश्तों का आहरण/भुगतान।
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का आहरण तथा सेवानिवृत्त उपरान्त देय सामूहिक बीमे की राशि के आहरण हेतु समुचित कार्यवाही उपरान्त भुगतान करना।
- चिकित्सा दावों की स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही सहित सक्षम जांचकर्ता प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त किया जाना।
- प्रभाग के कार्मिकों द्वारा आवेदित भवन निर्माण, भवन मरम्मत, वाहन अग्रिम हेतु शासन से अग्रिम स्वीकृति हेतु धनराशि की मांग करना, स्वीकृति, आहरण/भुगतान।
- प्रभाग की सामान्य व्यवस्था के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय बिलों आदि के आहरण/भुगतान की कार्यवाही।
- प्रभाग मुख्यालय के अतिरिक्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के जी0पी0एफ0 90 प्रतिशत की स्वीकृति, राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के अग्रिमों की स्वीकृति सम्बन्धी कार्यो का सम्पादन।
- रूपया 5,00,000/– तक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति प्रभाग से प्रदान किया जाना तथा रूपया 5,00,000/– से अधिक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति हेतु शासन को यथोचित प्रस्ताव भेजे जाने संबंधी कार्य तथा उपचार समाप्ति के तीन माह के पश्चात् प्राप्त चिकित्सा दावे की स्वीकृति पूर्व प्रशासनिक विभाग से विलम्बमर्षण की अनुमति प्राप्त किया जाना।

******

अध्याय–14

प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पादित कार्य

प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

14.1 भाव एवं मजदूरी दरों का एकत्रण

जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के भावों एवं दरों का एकत्रण निर्धारित दिवस पर किया जाता है जिनका विवरण निम्नवत् है, जो कि ''√'' से प्रदर्षित हैं :–

भाव/मजदूरी दरों का प्रकार

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहारनपुर	√	√	√	√	√
2	मुजफ्फर नगर	√	√	√	√	√
3	शामली		√	√	√	√
4	बिजनौर	√	√	√	√	√
5	मुरादाबाद	√	√	√	√	√
6	रामपुर	√	√	√	√	√
7	ज्योतिबाफूले नगर		√	√	√	√
8	सम्भल		√	√	√	√
9	मेरठ	√	√	√	√	√
10	बागपत		√	√	√	√
11	गाजियाबाद	√	√	√	√	√
12	गौतमबुद्व नगर	√	√	√	√	√
13	बुलन्दशहर	√	√	√	√	√
14	हापुड़		√	√	√	√
15	अलीगढ़	√	√	√	√	√
16	हाथरस	√	√	√	√	√
17	एटा	√	√	√	√	√
18	कासगंज	√	√	√	√	√
19	मथुरा	√	√	√	√	√
20	आगरा	√	√	√	√	√
21	फिरोजाबाद	√	√	√	√	√
22	मैनपुरी		√	√	√	√
23	बदायूँ	√	√	√	√	√

24	बरेली	√	√	√	√	√
25	पीलीभीत		√	√	√	√
26	शाहजहाँपुर	√	√	√	√	√
27	खीरी	√	√	√	√	√
28	सीतापुर	√	√	√	√	√
29	हरदोई	√	√	√	√	√
30	उन्नाव	√	√	√	√	√
31	लखनऊ	√	√	√	√	√
32	रायबरेली	√	√	√	√	√
33	फर्रूखाबाद	√	√	√	√	√
34	कन्नौज	√	√	√	√	√
35	इटावा	√	√	√	√	√
36	औरैया		√	√	√	√
37	कानपुर देहात		√	√	√	√
38	कानपुर नगर	√	√	√	√	√
39	जालौन	√	√	√	√	√
40	झाँसी	√	√	√	√	√
41	ललितपुर	√	√	√	√	√
42	हमीरपुर	√	√	√	√	√
43	महोबा	√	√	√	√	√
44	बाँदा	√	√	√	√	√
45	चित्रकूट	√	√	√	√	√
46	फतेहपुर	√	√	√	√	√
47	प्रतापगढ़		√	√	√	√
48	कौशाम्बी	√	√	√	√	√
49	इलाहाबाद	√	√	√	√	√
50	बाराबंकी	√	√	√	√	√
51	फैजाबाद		√	√	√	√
52	अम्बेडकर नगर	√	√	√	√	√
53	सुल्तानपुर	√	√	√	√	√
54	अमेठी		√	√	√	√
55	बहराइच	√	√	√	√	√
56	श्रावस्ती	√	√	√	√	√
57	बलरामपुर		√	√	√	√
58	गोण्डा	√	√	√	√	√
59	सिद्वार्थनगर	√	√	√	√	√
60	बस्ती		√	√	√	√
61	संतकबीर नगर		√	√	√	√
62	महराजगंज		√	√	√	√

63	गोरखपुर	√	√	√	√	√
64	कुशीनगर		√	√	√	√
65	देवरिया	√	√	√	√	√
66	आजमगढ़	√	√	√	√	√
67	मऊ		√	√	√	√
68	बलिया	√	√	√	√	√
69	जौनपुर	√	√	√	√	√
70	गाजीपुर	√	√	√	√	√
71	चन्दौली	√	√	√	√	√
72	वाराणसी	√	√	√	√	√
73	संतरविदास नगर	√	√	√	√	√
74	मिर्जापुर	√	√	√	√	√
75	सोनभद्र	√	√	√	√	√

इसके अतिरिक्त कच्चे ऊन के थोक भाव 5 केन्द्रों झांसी, इलाहाबाद, सन्तरविदास नगर, जौनपुर एवं रायबरेली से संग्रहित किये जाते हैं । 47 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । हापुड़ मण्डी के 11 आवश्यक वस्तुओं के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं । कानपुर केन्द्र के बड़ी इलायची के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं ।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा ग्रामीण फुटकर भाव/दरों का 6 से कम विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रतिमाह एक निरीक्षण अथवा 6 या उससे ऊपर की स्थिति में प्रतिमाह 2 निरीक्षण किये जाते हैं । उपनिदेशक द्वारा इन मदों का विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह कम से कम 2 निरीक्षण किये जाते हैं ।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा नगरीय फुटकर भाव/मजदूरी दरों का प्रत्येक दो माह में कम से कम 1 बार तथा उपनिदेशक द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जनपदों में दो निरीक्षण किये जाते है ।

14.1.1 मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा भाव एवं मजदूरी दरों के किये गये निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2017–18

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	भाव एवं मजदूरी दरों के निरीक्षणों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1	सहारनपुर	**27**
2	मुजफ्फरनगर	**10**
3	शामली	**20**
I	सहारनपुर मण्डल	**16**
	योग सहारनपुर (मण्डल एवं जनपद)	**73**
4	बिजनौर	**35**
5	मुरादाबाद	**14**
6	रामपुर	**25**
7	ज्योतिबाफूले नगर	**0**
8	सम्भल	**38**

II	मुरादाबाद मण्डल	115
	योग मुरादाबाद (मण्डल एवं जनपद)	227
9	मेरठ	24
10	बागपत	35
11	गाजियाबाद	22
12	गौतमबुद्व नगर	17
13	बुलन्दशहर	2
14	हापुड़	20
III	मेरठ मण्डल	25
	योग मेरठ (मण्डल एवं जनपद)	145
15	अलीगढ़	57
16	हाथरस	17
17	एटा	44
18	कासगंज	51
IV	अलीगढ़ मण्डल	20
	योग अलीगढ (मण्डल एवं जनपद)	189
19	मथुरा	36
20	आगरा	27
21	फिरोजाबाद	63
22	मैनपुरी	32
V	आगरा मण्डल	135
	योग आगरा (मण्डल एवं जनपद)	293
23	बदायूँ	
24	बरेली	6
25	पीलीभीत	
26	शाहजहाँपुर	21
VI	बरेली मण्डल	27
	योग बरेली (मण्डल एवं जनपद)	54
27	खीरी	27
28	सीतापुर	4
29	हरदोई	11
30	उन्नाव	9
31	लखनऊ	61
32	रायबरेली	18
VII	लखनऊ मण्डल	25
	योग लखनऊ (मण्डल एवं जनपद)	155
33	फर्रूखाबाद	22

34	कन्नौज	16
35	इटावा	64
36	औरैया	
37	कानपुर देहात	53
38	कानपुर नगर	43
VIII	कानपुर मण्डल	84
	योग कानपुर (मण्डल एवं जनपद)	**282**
39	जालौन	
40	झाँसी	24
41	ललितपुर	23
IX	झांसी मण्डल	39
	योग झांसी (मण्डल एवं जनपद)	**86**
42	हमीरपुर	23
43	महोबा	
44	बाँदा	15
45	चित्रकूट	23
X	चित्रकूटधाम मण्डल	94
	योग चित्रकूटधाम (मण्डल एवं जनपद)	**155**
46	फतेहपुर	48
47	प्रतापगढ़	56
48	कौशाम्बी	23
49	इलाहाबाद	73
XI	इलाहाबाद मण्डल	33
	योग इलाहाबाद (मण्डल एवं जनपद)	**233**
50	बाराबंकी	62
51	फैजाबाद	78
52	अम्बेडकर नगर	5
53	सुल्तानपुर	23
54	अमेठी	21
XII	फैजाबाद मण्डल	26
	योग फैजाबाद (मण्डल एवं जनपद)	**215**
55	बहराइच	39
56	श्रावस्ती	37
57	बलरामपुर	39
58	गोण्डा	16
XIII	देवीपाटन मण्डल	34
	योग देवीपाटन (मण्डल एवं जनपद)	**165**

59	सिद्वार्थनगर	**21**
60	बस्ती	**40**
61	संतकबीर नगर	**36**
XIV	बस्ती मण्डल	**49**
	योग बस्ती (मण्डल एवं जनपद)	**146**
62	महराजगंज	**56**
63	गोरखपुर	**27**
64	कुशीनगर	**86**
65	देवरिया	**37**
XV	गोरखपुर मण्डल	**39**
	योग गोरखपुर (मण्डल एवं जनपद)	**245**
66	आजमगढ़	**82**
67	मऊ	**20**
68	बलिया	**56**
XVI	आजमगढ मण्डल	**64**
	योग आजमगढ (मण्डल एवं जनपद)	**222**
69	जौनपुर	**39**
70	गाजीपुर	
71	चन्दौली	**38**
72	वाराणसी	**20**
XVII	वाराणसी मण्डल	**29**
	योग वाराणसी (मण्डल एवं जनपद)	**126**
73	संतरविदास नगर	**20**
74	मिर्जापुर	**35**
75	सोनभद्र	**30**
XVIII	विन्ध्याचल मण्डल	**37**
	योग विन्ध्याचल (मण्डल एवं जनपद)	**122**

नोट– (–) का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है।

14.2 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत सरकार द्वारा जनपदवार चयनित राज्य प्रतीक के कारखानों से निर्धारित अनुसूची पर आंकड़े संग्रहित किये जाते है। जनपदों द्वारा सर्वेक्षित कारखानों की भरी हुई अनुसूचियों का परिनिरीक्षण, डेटा इन्ट्री/ वैलिडेशन सम्बंधित मण्डल कार्यालय द्वारा किया जाता है। मण्डल कार्यालयो से त्रुटिरहित आंकड़े प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित किये जाते है। वर्ष 2016–17 में जनपदों द्वारा वा0उ0स0 2015–16 के आवंटित / सर्वेक्षित कारखानों का विवरण निम्नवत है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2015–16							
क्रम0सं0	जनपद / मण्डल	आवंटन	कुल सर्वेक्षित कारखाने	क्रम0सं0	जनपद / मण्डल	आवंटन	कुल सर्वेक्षित कारखाने
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सहारनपुर	38	38	42	फतेहपुर	26	26
2	मुजफ्फरनगर	100	100	43	प्रतापगढ़	4	4
3	शामली	11	11	44	कौशाम्बी	5	5
	सहारनपुर मण्डल	**149**	**149**	45	इलाहाबाद	53	53
4	बिजनौर	36	36		**इलाहाबाद मण्डल**	**88**	88
5	मुरादाबाद	64	64	46	बाराबंकी	26	26
6	रामपुर	33	33	47	फैजाबाद	23	23
7	अमरोहा	20	20	48	अम्बेडकर नगर	9	9
8	सम्भल	15	15	49	सुल्तानपुर	3	3
	मुरादाबाद मण्डल	**168**	**168**	50	अमेठी	6	6
9	मेरठ	176	176		**फैजाबाद मण्डल**	**67**	67
10	बागपत	8	8	51	बहराइच	10	10
11	गाजियाबाद	420	420	52	श्रावस्ती	0	0
12	गौतमबुद्ध नगर	694	694	53	बलरामपुर	4	4
13	बुलन्दशहर	110	110	54	गोण्डा	7	7
14	हापुड़	52	52		**देवीपाटन मण्डल**	**21**	21
	मेरठ मण्डल	**1460**	**1460**	55	सिद्धार्थनगर	0	0
15	मथुरा	60	60	56	बस्ती	4	4
16	आगरा	212	212	57	सन्तकबीर नगर	4	4
17	फिरोजाबाद	103	103		**बस्ती मण्डल**	**8**	8
18	मैनपुरी	15	15	58	महराजगंज	4	4
	आगरा मण्डल	**390**	**390**	59	गोरखपुर	29	29
19	बदायूँ	4	4	60	कुशीनगर	0	0
20	बरेली	66	66	61	देवरिया	0	0
21	पीलीभीत	12	12		**गोरखपुर मण्डल**	**33**	33
22	शाहजहाँपुर	25	25	62	आजमगढ़	0	0
	बरेली मण्डल	**107**	**107**	63	मऊ	0	0
23	खीरी	20	20	64	बलिया	0	0
24	सीतापुर	31	31		**आजमगढ़ मण्डल**	**0**	0

25	हरदोई	21	21	65	जौनपुर	14	14
26	उन्नाव	54	54	66	गाजीपुर	8	8
27	लखनऊ	146	146	67	चन्दौली	31	31
28	रायबरेली	14	14	68	वाराणसी	55	55
	लखनऊ मण्डल	**286**	**286**		**वाराणसी मण्डल**	**108**	108
29	फर्रूखाबाद	12	12	69	सन्तरविदास नगर	24	24
30	कन्नौज	26	26	70	मिर्जापुर	9	9
31	इटावा	15	15	71	सोनभद्र	3	3
32	औरैया	4	4		**विन्ध्याचल मण्डल**	**36**	36
33	कानपुर देहात	37	37	72	अलीगढ़	58	58
34	कानपुर नगर	325	325	73	हाथरस	50	50
	कानपुर मण्डल	**419**	**419**	74	एटा	1	1
35	जालौन	0	0	75	कासगंज	2	2
36	झाँसी	12	12		**अलीगढ़ मण्डल**	**111**	111
37	ललितपुर	0	0				
	झांसी मण्डल	**12**	12				
38	हमीरपुर	0	0				
39	महोबा	5	5		**उत्तर प्रदेश**	**3468**	**3468**
40	बाँदा	0	0				
41	चित्रकूट	0	0				
	चित्रकूटधाम मण्डल	**5**	5				

******

फोटो सेक्शन

दिनांक 29.06.2017 को प्रभाग पर 11वें सांख्यिकीय दिवस का आयोजन

दिनांक 08.12.2017 को प्रभाग पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की 98वीं बैठक का आयोजन

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http;//updes.up.nic.in